



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102026-277376
CG-DL-E-23102026-277376

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 839]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 23, 2026/कार्तिक 1, 1948

No. 839]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2026/KARTIKA 1, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2026

सा.का.नि. 910(अ).— केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 260 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ख), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज) और (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य पोत परिवहन (ध्वंसावशेष और उद्धारण) नियम, 1974 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (ध्वंसावशेष और उद्धारण) नियम, 2026 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) अभिप्रेत है
- (ख) "समिति" से उद्धारकों की नियुक्ति के लिए नियम 28 में निर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है;
- (ग) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;
- (घ) "समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया संविदा" से नियम 29 में निर्दिष्ट समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रचालक के साथ पोत के पंजीकृत स्वामी द्वारा की गई संविदा अभिप्रेत है;
- (ङ) "समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रचालक" से नियम 29 में निर्दिष्ट समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रचालक अभिप्रेत है, जो खतरनाक, परिसंकटमय, हानिकारक पदार्थों और तेल रिसाव, या किसी अन्य पदार्थ को हटाने के लिए जो समुद्री पर्यावरण को हानि पहुँचा सकते हैं, या परिसंकटमय, हानिकारक पदार्थों और तेल रिसाव की घटनाओं के लिए प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए डिज़ाइन किए गए उपकरण, प्रशिक्षित कर्मियों और विशेषज्ञता सहित संसाधनों पर स्वामित्व या नियंत्रण रखता है;
- (च) " उद्धारण संविदा " से अधिनियम की धारा 255 और इस नियम के अधीन अधिसूचित एक उद्धारक के साथ पोत के पंजीकृत स्वामी द्वारा की गई संविदा अभिप्रेत है;
- (छ) "मूल्यांकक कार्य" से तटीय जल में खतरे में पड़े किसी यान या किसी अन्य संपत्ति की सहायता के लिए किया गया कोई कार्य या क्रियाकलाप अभिप्रेत है;
- (ज) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (झ) " मूल्यांकक " से किसी पोत के मूल्य का आकलन करने के लिए इन नियमों के अधीन ध्वंसावशेष के प्राप्तकर्ता द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे ऐसे पोत के किसी उपकरण, या माल या भंडार की किसी अन्य वस्तु का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त किया गया है;

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं।

3. ध्वंसावशेष की रिपोर्ट करने की रीति. - अधिनियम की धारा 236 की उप-धारा (1) और (2) के

प्रावधानों के अधीन, पोत का मास्टर या पोत स्वामी या संचालक, निम्नलिखित जानकारी सहित घटना की रिपोर्ट करेगा, अर्थात्:

- (क) पंजीकृत स्वामी का नाम और व्यवसाय का प्रमुख स्थान;
- (ख) ध्वंसावशेष का सटीक स्थान या भौगोलिक निर्देशांक;
- (ग) ध्वंसावशेष का प्रकार, आकार और निर्माण;
- (घ) क्षति की प्रकृति और ध्वंसावशेष की स्थिति;
- (ङ) माल की प्रकृति और मात्रा;
- (च) खतरनाक हानिकारक पदार्थों की मात्रा और प्रकार, बंकर और स्नेहन तेल सहित पोत पर तेल;
- (छ) क्या ध्वंसावशेष हानिप्रद है, नौवहन के लिए हानिप्रद है या बाधा उत्पन्न करता है, या समुद्री पर्यावरण को बड़े नुकसान या तटरेखा को नुकसान पहुंचा सकता है;
- (ज) ध्वंसावशेष से उत्पन्न हानि को कम करने के लिए शमन योजना या कार्रवाई का तरीका।

4. ध्वंसावशेष को चिह्नित किया जाना. - (1) किसी ध्वंसावशेष की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, महानिदेशक, राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, लाइट हाउस और लाइटशिप के महानिदेशालय, पत्तन प्राधिकरणों, या किसी अन्य उपयुक्त तंत्र सहित सभी व्यावहारिक साधनों और संसाधनों का उपयोग करके, ध्वंसावशेष की स्थिति और किसी अन्य प्रासंगिक जानकारी का संकेत देते हुए एक नौवहनीय चेतावनी जारी करेगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नौवहनीय चेतावनी को वर्ल्ड वाइड नौवहनीय वार्निंग सर्विस, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, नौवहनीय टेलेक्स, अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त मोबाइल-सैटेलाइट संचार सेवा सहित सभी उपलब्ध माध्यमों से प्रसारित किया जाएगा।

(3) महानिदेशक पोत के स्वामी या प्रचालक को नौचालन के लिए समुद्रिक सहायता अधिनियम,

2021 (2021 का 20) के प्रावधानों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय सहायता संगठन द्वारा प्रकाशित नौचालन पर सहायता पर सिफारिशों और दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिनियम की धारा 238 के अधीन, ध्वंसावशेष को चिह्नित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का निदेश दे सकेगा।

(4) महानिदेशक, यथास्थिति, ध्वंसावशेष प्राप्तकर्ता या पत्तन प्राधिकरणों या समुद्री बोर्ड या लाइट हाइस और लाइटशिप के महानिदेशालय को, उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर, ध्वंसावशेष का पता लगाने या ध्वंसावशेष के चिह्नांकन, या दोनों को सुविधाजनक बनाने के लिए निदेश दे सकेगा।

5. ध्वंसावशेष हटाने की सुविधा संबंधी उपाय. - (1) जहां कोई पोत समुद्री दुर्घटना से ग्रसित हो गया है और पोत या उसका कोई भाग या ऐसे पोत से कोई माल तटीय जल में ध्वंसावशेष बनाता है, पोत का पंजीकृत स्वामी या प्रचालक अधिनियम की धारा 242 के अनुसार ऐसे ध्वंसावशेष को हटाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होगा।

(2) ध्वंसावशेष का प्राप्तकर्ता उप-नियम (1) में निर्दिष्ट ध्वंसावशेष को हटाने की सुविधा के प्रयोजनों के लिए ध्वंसावशेष के पता लगाने, चिह्नित करने, सुरक्षित करने, हटाने या निपटान से संबंधित उपायों का समन्वय, निदेशन और पर्यवेक्षण करेगा:

परंतु, जहां किसी भी देरी, गैर-अनुपालन, या हटाने में कठिनाई की सूचना ध्वंसावशेष प्राप्तकर्ता द्वारा दी गई है, प्राधिकारी अधिनियम के अनुसार यथा आवश्यक, ऐसे और निदेश जारी कर सकेगा।

(3) जहां पंजीकृत स्वामी किसी पोत के घोषित की गई पूर्ण क्षति का विवरण देने में देरी करता है या विफल रहता है, भले ही यह नौचालन, सुरक्षा या समुद्री पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करता है, तो प्राधिकारी या ध्वंसावशेष का प्राप्तकर्ता, मूल्यांकन करने और सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने पर ध्वंसावशेष हटाने के लिए पंजीकृत स्वामी के उत्तरदायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना-

(क) पंजीकृत स्वामी की ओर से परित्याग की सूचना जारी करेगा; या

(ख) पोत की घोषित की गई पूर्ण क्षति का विवरण देगा; या

(ग) पोत को एक ध्वंसावशेष के रूप में घोषित करेगा या ध्वंसावशेष को हटाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएगा।

(4) यथास्थिति पत्तन प्राधिकरण या समुद्री बोर्ड, ध्वंसावशेष को हटाने के लिए पंजीकृत स्वामी या पोत प्रचालक के प्राथमिक दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर, प्राधिकरण या ध्वंसावशेष के प्राप्तकर्ता द्वारा अपेक्षित सुविधा और रसद सहायता प्रदान करेगा।

(5) पंजीकृत स्वामी, प्राधिकरण या ध्वंसावशेष प्राप्तकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर और रीति से अधिनियम की धारा 255 के अधीन निर्दिष्ट उद्धारक, या नियम 29 में संदर्भित समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रचालकों को पंजीकृत स्वामी की ओर से ध्वंसावशेष हटाने के लिए नियुक्त करेगा।

6. बीमा प्रमाणपत्र या अन्य वित्तीय सुरक्षा जारी करने या नवीनीकरण के लिए आवेदन. - (1) भारतीय पोत का पंजीकृत स्वामी, जिसने अधिनियम की धारा 244 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार उस पोत के संबंध में बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा बनाए रखी है, ध्वंसावशेष को हटाने पर नैरोबी अभिसमय, 2007 के अधीन अपनी देयता को कवर करने के लिए बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के प्रमाणपत्र के जारी करने या नवीनीकरण के लिए, प्ररूप क में, जहां उक्त पोत पंजीकृत है, पोत रजिस्ट्री के रजिस्ट्रार को आवेदन करेगा।

(2) भारतीय पोत के अलावा किसी विदेशी राज्य में पंजीकृत एक पोत का पंजीकृत स्वामी या संचालक, जो अभिसमय का पक्षकार नहीं है, जिसने अधिनियम की धारा 244 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार ऐसे पोत के संबंध में बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा बनाए रखी है, वह ध्वंसावशेष को हटाने पर नैरोबी अभिसमय, 2007 के अधीन अपनी देयता को कवर करने के लिए बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के प्रमाणपत्र के जारी करने या नवीनीकरण के लिए रजिस्ट्रार को प्ररूप क में आवेदन कर सकेगा।

(3) उप-नियम (1) और (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन में ऐसे बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के रखरखाव के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य और नियम 10 में यथा विनिर्दिष्ट फीस के भुगतान की पुष्टि करने वाली रसीद शामिल होगी।

7. ध्वंसावशेष हटाने के दायित्व के संबंध में बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा का प्रमाण पत्र.- (1) नियम 6 के

उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन आवेदन प्राप्त करने के बाद, रजिस्ट्रार, उस पोत के संबंध में बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के रखरखाव के बारे में समाधान होने पर, प्ररूप ख में ध्वंसावशेष को हटाने पर नैरोबी अभिसमय, 2007 के अधीन देयता के संबंध में बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(2) रजिस्ट्रार ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने से पहले निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, अर्थात्:

- (क) जहां वित्तीय सुरक्षा की कुल रकम एक से अधिक स्रोतों द्वारा प्रदान की जाती है, वहां प्रत्येक द्वारा प्रदान की गई रकम को अलग से इंगित किया जाएगा;
- (ख) जहां वित्तीय सुरक्षा कई रूपों में प्रदान की जाती है, ऐसे रूपों को प्रमाण पत्र में गिना जाएगा;
- (ग) सुरक्षा की अवधि में स्पष्ट रूप से वह तारीख बताई जाएगी जिस पर वित्तीय सुरक्षा प्रभावी होगी; और
- (घ) बीमाकर्ता की प्रविष्टि "पता" उसके व्यवसाय के प्रमुख स्थान को इंगित करेगी और, जहां लागू हो, व्यवसाय का स्थान जहां बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा स्थापित की जाती है।

8. अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी किया जाना.- (1) जहां नियम 7 के अधीन जारी प्रमाण पत्र नष्ट हो गया है या विरूपित हो गया है या खो गया है या चोरी हो गया है, पोत का पंजीकृत स्वामी या अभिकर्ता, मूल पंजीकरण पत्तन के रजिस्ट्रार को, प्ररूप ग में नियम 10 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ, एक अनुलिपि प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) यदि उप-नियम (1) के अधीन खोया हुआ प्रमाण पत्र पाया जाता है, तो इसे रजिस्ट्रार को वापस कर दिया जाएगा जहां ऐसा प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

(3) इस नियम के उपबंध इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किए गए प्रमाणपत्रों पर लागू नहीं होंगे।

9. अनुलिपि प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया. - (1) जहां इन नियमों के अधीन जारी प्रमाण पत्र नष्ट हो गया है या विकृत हो गया है या विरूपित हो गया है या अपठनीय हो गया है या खो गया है या चोरी हो

गया है, तो पोत का पंजीकृत स्वामी या संचालक, बिना किसी देरी के, ऐसे नुकसान की परिस्थितियों, स्थान और घटना की अनुमानित तारीख को इंगित करते हुए, पंजीकरण के मूल पत्तन के रजिस्ट्रार को लिखित में इसकी रिपोर्ट करेगा।

(2) प्रमाणपत्र के नष्ट या खो जाने या चोरी हो जाने की स्थिति में, पंजीकृत स्वामी या प्रचालक निकटतम पुलिस स्टेशन में शिकायत या खो जाने की रिपोर्ट दर्ज करेगा और इसकी एक प्रति मूल पंजीकरण के पत्तन के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा:

परंतु ऐसी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, खोए हुए प्रमाणपत्र के नाम और यान का नाम और विशिष्टियां संख्या और ऐसी खो जाने की परिस्थितियों और अनुमानित तारीख और स्थान को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा।

(3) प्रमाणपत्र को विकृत, विरूपित या अपठनीय होने की स्थिति में, मूल प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार को अभ्यर्पित कर दिया जाएगा।

(4) पंजीकृत स्वामी को दो दैनिक समाचार पत्रों में नुकसान की सूचना प्रकाशित करना होगा, एक अंग्रेजी भाषा में राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र और दूसरा रजिस्ट्री के पत्तन की स्थानीय भाषा में जहां पोत पंजीकृत है, और ऐसे प्रकाशनों की प्रतियां रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा:

परंतु उक्त नोटिस में, अन्य बातों के साथ-साथ, पोत की विशिष्टियां, खोए हुए प्रमाण पत्र का विवरण शामिल होगा, और प्रकाशन की तारीख से दस दिनों के भीतर अनुलिपि प्रमाण पत्र जारी करने पर आपत्तियों यदि कोई हो को आमंत्रित किया जाएगा।

(5) उप-नियम (2) और (3) के प्रावधानों का अनुपालन करने के बाद, पंजीकृत स्वामी या प्रचालक नियम 10 में विनिर्दिष्ट फीस के साथ एक अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा, और ऐसे आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे, अर्थात्:

(क) शिकायत या खोई रिपोर्ट की एक प्रति;

(ख) दोनों समाचार पत्रों के नोटिस की प्रतियां; और

(ग) एक घोषणा, जिसमें कहा गया है कि यदि मूल प्रमाण पत्र बाद में बरामद किया जाता है, तो उसे मूल पत्तन के रजिस्ट्रार को सौंप दिया जाएगा।

(6) इन नियमों के अधीन जारी किए गए अनुलिपि प्रमाणपत्र में मूल प्रमाणपत्र के समान ही विधि प्रवर्तन और मान्यता होगी और इसमें एक पृष्ठांकन होगा जिसमें "अनुलिपि - मूल खो जाने के बदले जारी किया गया" कथन किया जाएगा।

10. प्रमाणपत्र जारी करने के लिए फीस. - (1) नियम 6 के अधीन बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के प्रमाण पत्र के जारी करने या नवीनीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ केवल दस हजार रुपये का फीस होगी और इसका भुगतान भारतकोश पोर्टल या ऐसे अन्य माध्यमों से किया जाएगा।

(2) नियम 8 के अधीन प्रमाण पत्र की एक अनुलिपि प्रति, यथा स्थिति पंजीकृत स्वामी या अभिकरण को, दो हजार रुपये के फीस के भुगतान पर जारी की जाएगी और इसका भुगतान भारतकोश पोर्टल या ऐसे अन्य माध्यमों के माध्यम से किया जाएगा।

11. ध्वंसावशेष के पंजीकृत स्वामियों के दावे. - (1) ध्वंसावशेष या विक्रय आगमों की आय के लिए पंजीकृत स्वामी के सभी दावे पहली अनुसूची के भाग 1 के अनुसार ध्वंसावशेष के प्राप्तकर्ता को किए जाएंगे:

परंतु किसी पोत के ध्वंसावशेष के पंजीकृत स्वामी के अभिकर्ता या समनुदेशिति का दावा या किसी ध्वस्त पोत के मृतक मास्टर, नाविक या यात्री से संबंधित ध्वंसावशेष की किसी वस्तु या उसके विक्रय आगमों का दावा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि दावाकर्ता, ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुतिकरण द्वारा, जिसे प्राप्तकर्ता आवश्यक समझे, दावेदार के हक का समाधान न कर दे।

(2) जहां किसी पोतावशेष के वितरण या उसके विक्रय आय के भुगतान के लिए कोई दावा किया जाता है और पोतावशेष के प्राप्तकर्ता को दावेदार के शीर्षक के बारे में संदेह है, तो प्राप्तकर्ता दावेदार को पहली अनुसूची के भाग 2 को पूरा करने और ऐसे शीर्षक के प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है जो प्राप्तकर्ता आवश्यक समझता है:

परंतु प्राप्तकर्ता दावाकर्ता के शीर्षक को स्थापित करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले पोतों, शिपर, संबंधित किसी अन्य व्यक्ति के रजिस्ट्रार से भी पूछताछ कर सकता है।

12. मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति. - (1) जहां ध्वंसावशेष संचालन से संबंधित लागतों के बारे में विवाद उत्पन्न होता है, पोत के स्वामी या बचावकर्ता के आवेदन पर, संपत्ति के मूल्य और खर्च की गई लागतों का आकलन करने के लिए मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया जा सकता है।

(2) मूल्यांकन पूरा होने पर, पोतावशेष प्राप्तकर्ता दोनों पक्षों को उसकी प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

(3) मूल्यांकनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और पोतावशेष के प्राप्तकर्ता द्वारा एक वैध प्रति के रूप में प्रमाणित मूल्यांकन की एक प्रति किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगी।

(4) पोतावशेष का प्राप्तकर्ता मूल्यांकनकर्ता को भुगतान की जाने वाली उचित फीस निर्धारित कर सकता है, जो बचाव खर्चों पर फीस बनाएगा:

परंतु जहां मूल्यांकनकर्ता को पोत के स्वामी या बचावकर्ता के अनुरोध पर नियुक्त किया जाता है, दूसरे पक्ष की सहमति के बिना, फीस अनुरोध करने वाले पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।

13. ध्वंसावशेष के बिक्री की प्रक्रिया. (1) प्राप्तकर्ता सार्वजनिक नीलामी के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के पोतावशेष को नहीं बेचेगा।

(2) इस तरह की प्रत्येक बिक्री क्रेता द्वारा सरकार या पतन प्राधिकरणों को देय किसी भी कर और समुद्री लाइनों जैसे पोतावशेष पर भार के लिए पूर्ण जिम्मेदारी मानते हुए की जाएगी।

(3) एक पोतावशेष की बिक्री के लिए एक नोटिस बिक्री की निर्धारित तारीख से कम से कम चौदह दिन पहले, संबंधित समुद्री वाणिज्य विभाग में व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों के तीन लगातार अंकों में प्रकाशित किया जाएगा।

(4) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट नोटिस में निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी, अर्थात्:

- (क) बिक्री के अधीन पोतावशेष का विवरण, उसका स्थान और अन्य ज्ञात विवरण, यदि कोई हो;
- (ख) नीलामी मूल्य का प्रतिशत जो नीलामी के समापन के तुरंत बाद डाउन-भुगतान के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए;
- (ग) वह अवधि जिसके भीतर शेष रकम का भुगतान सफल बोली लगाने वाले द्वारा किया जाएगा;
- (घ) एक उपबंध जो प्राप्तकर्ता के उचित आधार पर और लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर उच्चतम बोली को अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित करता है;
- (ङ) इस आशय का उपबंध कि खंड (ख) में निर्दिष्ट डाउन-भुगतान की रकम जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगी, यदि सफल बोली लगाने वाला खंड (ग) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूर्ण और अंतिम रकम का भुगतान करने में विफल रहता है;
- (च) कोई अन्य विवरण जो आवश्यक समझा जाए, बिक रहे ध्वंसावशेष की प्रकृति और उन परिस्थितियों के आधार पर जिनके अधीन इसे बेचा जा रहा है।

(5) जहां किसी पोतावशेष का प्राप्तकर्ता उच्चतम बोली स्वीकार नहीं करता है या किसी भी नीलामी को स्थगित या रद्द करता है, वह इसके कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा और प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा।

(6) जहां किसी ध्वंसावशेष के प्राप्तकर्ता द्वारा उच्चतम बोली को अस्वीकार करने, या नीलामी को रद्द करने या उप-नियम 4 के खंड (ग) में संदर्भित अवधि के भीतर पूर्ण और अंतिम रकम का भुगतान करने में उच्चतम बोली लगाने वाले की विफलता के कारण कोई नीलामी विफल हो जाती है, तो प्राप्तकर्ता पोतावशेष की एक नई बिक्री का आयोजन करेगा।

(7) जहां नीलामी के बाद पोतावशेष बिकता नहीं है, पोतावशेष प्राप्तकर्ता पंजीकृत स्वामी से आगे की भागीदारी के बिना, स्ट्रैपिंग, पुनर्चक्रण, नष्ट या किसी अन्य आवश्यक साधन द्वारा पोतावशेष निपटान

के साथ आगे बढ़ेगा:

परंतु पोतावशेष प्राप्तकर्ता पोतावशेष निपटान से बिक्री की आय प्राप्त करने पर सभी दायित्वों का निर्वहन करेगा:

परंतु यह और कि पंजीकृत स्वामी सभी देनदारियों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी होंगे, यदि पोतावशेष निपटान से कोई बिक्री की आय प्राप्त नहीं होती है।

14. पोतावशेष दो या दो से अधिक प्राप्तकर्ता के अधिकार क्षेत्र में है. - जब किसी भी पोतावशेष का कोई भाग एक प्राप्तकर्ता के अधिकार क्षेत्र में बह कर चला जाता है या किनारे पर आ जाता है और उसका शेष भाग इस प्रकार बह जाता है या दूसरे प्राप्तकर्ता या रिसीवरों के अधिकार क्षेत्र में किनारे पर आ जाता है, तो प्रत्येक प्राप्तकर्ता एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा।

15. किसी अन्य प्राप्तकर्ता के अधिकार क्षेत्र में दिया गया पोतावशेष. - जब किसी प्राप्तकर्ता के अधिकार क्षेत्र में पाया गया कोई पोतावशेष किसी अन्य प्राप्तकर्ता को दिया जाता है, तो ऐसे पोतावशेष का निपटान उस प्राप्तकर्ता द्वारा उसी तरीके से किया जाएगा जैसे कि यह उसके अधिकार क्षेत्र में पाया गया हो।

16. रिपोर्ट बही. - (1) प्रत्येक पोतावशेष प्राप्तकर्ता, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के संबंध में, दूसरी अनुसूची के अनुसार, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर होने वाले सभी पोतावशेष के विवरण संबंधी एक रिपोर्ट तैयार करेगा और अधिकार क्षेत्र वाले समुद्री वाणिज्य विभाग को प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे, अर्थात्:

(क) घटना की तारीख, समय और स्थिति;

(ख) पोत और रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम और विवरण;

(ग) अवशेष या उसके किसी भाग का विवरण और अनुमानित मूल्य जिसे कब्जे में लिया गया है;

(घ) पोतावशेष को चिह्नित करने, उसकी रखवाली करने, उसे संरक्षित करने, हटाने या उसका निपटान करने के लिए उठाए गए किसी भी उपाय का विवरण; और

(ङ) ऐसे पोतावशेष के संबंध में प्राप्त और भुगतान की गई सभी रकमों का विवरण, जिसमें बचाव फीस, व्यय और फीस शामिल हैं।

(3) क्षेत्रीय समुद्री वाणिज्य विभाग, पोतावशेष प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त सभी रिपोर्टों को एकत्रित करेगा और महानिदेशक को एक समेकित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

17. पुरस्कार के लिए शर्तें. - पुरस्कार का अधिकार एक बचावकर्ता को दिया जाएगा यदि सॉल्वेज अभियान का उपयोगी परिणाम होता है:

परंतु इस नियम के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि सॉल्वड पोत और सॉल्वेज पोत का स्वामी एक ही है:

परंतु यह और भी कि पुरस्कार की शर्तें, पुरस्कार तय करने के मानदंड और इन नियमों में विनिर्दिष्ट विशेष क्षतिपूर्ति उन मामलों में लागू होगा जहां बचाव कार्यों के लिए संविदा बचावकर्ता और पंजीकृत स्वामी के बीच विद्यमान नहीं है।

18. पुरस्कार निर्धारित करने के लिए मानदंड. - (1) बचाव कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार तय किया जाएगा, अर्थात्:

(क) जलयान और अन्य संपत्ति का बचाया गया मूल्य;

(ख) पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने या कम करने में बचावकर्ताओं का कौशल और प्रयास;

(ग) बचावकर्ता द्वारा प्राप्त सफलता का माप;

(घ) खतरे की प्रकृति और डिग्री;

(ङ) पोत, अन्य संपत्ति और जीवन को बचाने में बचावकर्ताओं के कौशल और प्रयास;

(च) बचावकर्ताओं द्वारा उपयोग किया गया समय और खर्च और नुकसान;

(छ) जोखिम का दायित्व और अन्य जोखिम जो बचावकर्ताओं या उनके उपस्करों द्वारा चलाया जाता है;

(ज) प्रदान की गई सेवाओं की तत्परता;

(झ) बचाव कार्यों के लिए अभिप्रेत पोतों या अन्य उपस्करों की उपलब्धता और उपयोग;

(ञ) बचाव दल के उपस्करों की तत्परता और दक्षता की स्थिति और उसका मूल्य।

(2) उप-नियम (1) के अधीन निर्धारित पुरस्कार जलयान और अन्य संपत्ति हितों द्वारा उनके संबंधित बचाए गए मूल्य के अनुपात में देय होगा

(3) किसी भी ब्याज और वसूलनीय विधिक लागत के अतिरिक्त, पुरस्कार, जलयान और अन्य संपत्ति के बचाए गए मूल्य से अधिक नहीं होंगे।

19. विशेष क्षतिपूर्ति. - (1) यदि बचावकर्ता ने किसी ऐसे पोत के संबंध में बचाव कार्य किया है, जिसने स्वयं या उसके माल से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है और पुरस्कार अर्जित करने में विफल रहा है, तो वह उस पोत के स्वामी से अपने खर्चों के बराबर विशेष क्षतिपूर्ति का हकदार होगा:

परंतु यदि बचावकर्ता ने पर्यावरण को नुकसान होने से बचाया है या कम किया है, तो स्वामी द्वारा बचावकर्ता को देय विशेष मुआवजे में बचावकर्ता द्वारा किए गए खर्चों का अधिकतम तीस प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है:

परंतु यह और भी कि दावा पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला उच्च न्यायालय ऐसे विशेष मुआवजे को बढ़ा सकता है यदि वह ऐसा करना उचित और न्यायसंगत समझता है, लेकिन किसी भी स्थिति में ऐसा क्षतिपूर्ति बचावकर्ता द्वारा किए गए खर्चों के सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "खर्च किए गए" अभिव्यक्ति से है, बचाव संचालन के दौरान, उचित रूप से खर्च किए गए जेब से खर्च, साथ ही साथ बचाव संचालन में वास्तव में और उचित रूप से नियोजित उपस्कर और कर्मियों के उपयोग के लिए उचित दर।

(2) इस नियम के अधीन कुल विशेष क्षतिपूर्ति केवल तभी दी जाएगी जब ऐसी क्षतिपूर्ति बचावकर्ता

द्वारा वसूल किए जाने वाले किसी भी पुरस्कार से अधिक हो।

(3) यदि बचावकर्ता लापरवाह है और पर्यावरण को नुकसान को रोकने या कम करने में विफल रहा है, तो उसे किसी विशेष क्षतिपूर्ति के पूरे या आंशिक हिस्से से वंचित किया जा सकता है।

(4) इस नियम में कुछ भी पोत के स्वामी को विशेष क्षतिपूर्ति के विरुद्ध वसूली या क्षतिपूर्ति मांगने से नहीं रोकेगा।

20. बचावकर्ताओं के बीच विभाजन. - (1) ऐसे मामलों में जहां कोई संविदा विद्यमान नहीं है, प्रत्येक बचाव जलयान की सेवा में स्वामी, मास्टर और अन्य व्यक्तियों के बीच बचाव पुरस्कार का विभाजन, नियम 18 में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

(2) जहां बचाव कार्य संविदा के अधीन किए जाते हैं, वहां बचावकर्ता और पंजीकृत स्वामी के बीच पुरस्कार का विभाजन ऐसे संविदा को नियंत्रित करने वाली विधि द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

21. व्यक्तियों का बचाव. - (1) जिस व्यक्ति के जीवन को बचाया गया है, उससे कोई पारिश्रमिक नहीं लिया जाएगा।

(2) मानव जीवन बचाने वाला, जिसने इस घटना के दौरान बचाव अभियान संबंधी सेवाएं प्रदान की, उसे जलयान, संपत्ति को बचाने या पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने या कम करने के लिए बचावकर्ता को दिए गए पारिश्रमिक का उचित हिस्सा प्राप्त करेगा।

22. विद्यमान संविदाओं के अधीन प्रदान की गई सेवाएं. - नियम 17, 18 या 19 के उपबंधों के अधीन कोई पुरस्कार या विशेष क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी जब तक कि प्रदान की गई सेवाएं उस से अधिक न हों जो खतरे के उत्पन्न होने से पहले किए गए संविदा के उचित प्रदर्शन के रूप में माना जा सकता है।

23. बचावकर्ता के गलत आचरण का प्रभाव. - एक बचावकर्ता को नियम 17, 18 या 19 के अधीन देय इनाम या मुआवजे के पूरे या आंशिक हिस्से से वंचित किया जा सकता है, यदि बचावकर्ता के दोष या उपेक्षा के कारण बचाव कार्य आवश्यक या अधिक कठिन हो गया है, या यदि बचावकर्ता को धोखाधड़ी या अन्य गलत आचरण का दोषी पाया गया है।

24. ब्याज. - (1) एक बचावकर्ता इन नियमों के अधीन दिए गए या दिए जाने के लिए सहमत किसी भी राशि पर ब्याज का हकदार होगा, उस तारीख से जब ऐसी राशि देय हो गई वास्तविक भुगतान की तारीख तक होगी।

(2) ब्याज दर, जब तक कि पार्टियों के बीच अन्यथा सहमति न हो, प्रतिवर्ष छह प्रतिशत होगी।

25. राष्ट्र के स्वामित्व वाले कार्गो. - जहाँ, बचाव कार्यों के समय, भारत सरकार या किसी विदेशी सरकार के स्वामित्व वाला कोई गैर-वाणिज्यिक माल अंतरराष्ट्रीय विधि के सामान्य रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के अधीन संप्रभु प्रतिरक्षा का हकदार है, ऐसे माल की कोई जब्ती, गिरफ्तारी या हिरासत, या उसके विरुद्ध रिम कार्यवाही नहीं की जाएगी, और अधिनियम या इन नियमों के किसी भी उपबंध को उसके संबंध में लागू नहीं किया जाएगा, जब तक कि संबंधित सरकार ने ऐसी प्रतिरक्षा को स्पष्ट रूप से माफ नहीं कर दिया हो या लिखित में सहमति नहीं दी हो।

26. मानवीय सहायता सामग्री. - अधिनियम या इन नियमों के किसी भी उपबंध का उपयोग किसी राज्य द्वारा दान किए गए मानवीय सहायता सामग्री की जब्ती, गिरफ्तारी या हिरासत के आधार के रूप में नहीं किया जाएगा, यदि ऐसे राज्य की सरकार ने ऐसे मानवीय सहायता सामग्री के संबंध में प्रदान की गई बचाव सेवाओं के लिए भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है।

27. वे परिस्थितियाँ जिनके अधीन प्राधिकरण बचाव का कार्य करेगा. - (1) प्राधिकरण निम्नलिखित परिस्थितियों में बचाव कार्यों को करेगा या बचाव कार्यों का नियंत्रण ग्रहण करेगा, अर्थात्: -

(क) जहाँ—

(i) जलयान का एक पंजीकृत स्वामी बचाव कार्यों को प्रदान करने के लिए बचावकर्ताओं को नियुक्त नहीं करता है; या

(ii) जहाँ जलयान का स्वामी या नियुक्त उद्धारकर्ता ऐसे समय के भीतर आवश्यक उपाय करने में विफल रहता है जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है,

मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए;

(ख) जहाँ—

(i) एक ध्वंसावशेष अधिनियम की धारा 237 के अधीन एक खतरा बन गया है और नेविगेशन के लिए खतरा या बाधा उत्पन्न करता है या समुद्री पर्यावरण को बड़े हानिकारक परिणामों या तटरेखा को नुकसान पहुंचाने की उचित रूप से आशा की जा सकती है; और

(ii) रजिस्ट्री पोत स्वामी या संचालक अधिनियम की धारा 242 की उप-धारा (7) के अधीन ऐसे ध्वंसावशेष को विनिर्दिष्ट समय के भीतर हटाने के दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा है या उसके अधीन जारी निर्देशों का जवाब नहीं दिया है; या

(ग) ऐसी अन्य परिस्थितियां जो प्राधिकरण आवश्यक समझे।

(2) प्राधिकरण इस नियम के अधीन अपेक्षित बचाव कार्यों को करने के लिए किसी भी सरकारी या निजी इकाई को नियुक्त कर सकता है।

(3) अधिनियम की धारा 250 में निर्दिष्ट अनुसार, बचाव कार्यों को करने के लिए प्राधिकरण द्वारा आनुपातिक रूप से वहन की गई लागत, पोत, कार्गो, उपकरण या मलबा के स्वामी द्वारा वहन की जाएगी या उससे वसूल की जाएगी।

28. बचावकर्ता बनाए रखने के लिए समिति. - (1) अधिनियम की धारा 255 के अधीन बचावकर्ताओं के प्रतिधारण के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्: - -

(क) नॉटिकल सलाहकार - अध्यक्ष;

(ख) मुख्य सर्वेक्षक - सदस्य;

(ग) मुख्य पोत सर्वेक्षक - सदस्य;

(घ) प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्य विभाग - सदस्य

(ङ) नॉटिकल सर्वेक्षक- सदस्य सचिव;

- (च) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधि - सदस्य;
- (छ) मुंबई पत्तन प्राधिकरण के उप संरक्षक - सदस्य;
- (ज) जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण के उप संरक्षक - सदस्य;
- (झ) विशेष दुर्घटना प्रतिनिधि - सदस्य;
- (ञ) अध्यक्ष द्वारा सह-चयनित कोई अन्य विशेषज्ञ - सदस्य।

(2) समिति अधिनियम की धारा 255 के अधीन बचावकर्ताओं के प्रतिधारण के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करेगी, जो तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर किया जाएगा।

(3) समिति की बैठकें कम से कम एक कैलेंडर वर्ष में अध्यक्ष या अध्यक्ष के नामांकित व्यक्ति द्वारा बुलाई जाएंगी, और गणपूर्ति में कम से कम आधे सदस्य शामिल होंगे, जिसमें अध्यक्ष या उसका नामांकित व्यक्ति शामिल होगा:

परंतु समिति, जहां आवश्यक हो, इन नियमों के अधीन अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसी अतिरिक्त बैठकें बुला सकती है।

(4) समिति अपनी सिफारिशें प्राधिकरण को भेजेगी, जो ऐसी सिफारिशों को मंजूरी देगा या अस्वीकार कर देगा।

(5) प्राधिकरण, ऐसे अंतरालों पर जो उपयुक्त समझे जाएंगे, अधिनियम के अधीन बरकरार रखे गए बचावकर्ताओं की सूची की समीक्षा और अद्यतन करेगा, और सूची से किसी भी बचावकर्ता को हटा सकता है जिसका प्राधिकरण निलंबित या वापस ले लिया गया है।

(6) इन नियमों के उपबंधों के अधीन, समिति अपनी प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है, जिसमें आवेदकों से अतिरिक्त जानकारी मांगने की रीति, अभ्यावेदन करने की प्रक्रिया और अपनी बैठकों के कार्यवृत्त को रिकॉर्ड करना शामिल है।

29. समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रचालकों का प्रतिधारण. - (1) प्राधिकरण चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर अर्हता और अनुभव रखने वाले समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रचालकों की एक सूची

बनाएगा।

(2) नियम 28 में निर्दिष्ट समिति समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रचालकों को बनाए रखने के लिए आवेदनों का आकलन करेगी।

(3) समिति अपनी सिफारिशें प्राधिकरण को भेजेगी, जो ऐसी सिफारिशों को मंजूरी देगा या अस्वीकार कर देगा।

(4) प्राधिकरण, ऐसे अंतरालों पर जो उचित समझे, इन नियमों के अधीन रखी गई समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रचालकों की सूची की समीक्षा और अद्यतन करेगा, और सूची से किसी भी समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रचालक को हटा सकता है जिसका प्राधिकरण निलंबित या वापस ले लिया गया है।

30. बचाव अनुबंधों और समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया संविदा का रखरखाव. - (1) प्राधिकरण पोतों के रजिस्ट्री मालिकों को समुद्री हताहतों और संबंधित प्रदूषण की घटनाओं के प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक प्रतिधारित बचावकर्ता और एक प्रतिधारित समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रचालक के साथ वैध संविदा बनाए रखने की आवश्यकता होगी।

(2) बचाव संविदा यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिक्रिया समय के भीतर, पोत के आकार और प्रकार के अनुरूप अग्निशमन, बचाव, हल्का करने, पानी निकालने और आपातकालीन टोइंग सहित आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यों को करने में सक्षम पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता हो।

(3) समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया संविदा क्षेत्र आकस्मिकता योजनाओं और राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के अनुरूप खतरनाक, हानिकारक पदार्थ और तेल रिसाव रोकथाम और पुनर्प्राप्ति, तटरेखा संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण कार्यों के लिए क्षमता सुनिश्चित करेगा।

(4) जहां प्राधिकरण किसी संस्था, सेवा प्रदाता या संगठन को एक बचावकर्ता और समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रचालक दोनों के रूप में अनुमोदित करता है, रजिस्ट्री स्वामी को बचाव और समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया दोनों की सेवाओं के लिए ऐसे सेवा प्रदाता के साथ एक एकल संविदा बनाए रखना चाहिए।

31. महानिदेशक द्वारा शिकायत निवारण की प्रक्रिया. - (1) जलयान के रजिस्ट्री स्वामी और एक

बचावकर्ता के बीच किसी भी विवाद को सहायक दस्तावेजों के साथ लिखित शिकायत के माध्यम से निपटान के लिए महानिदेशक को भेजा जा सकता है।

(2) महानिदेशक सात दिनों के भीतर शिकायत की प्राप्ति को स्वीकार करेगा और मामले को, रिकॉर्ड के साथ परीक्षण के लिए नॉटिकल सलाहकार को भेज सकता है।

(3) महानिदेशक विवाद की जांच करेगा और -

(क) दोनों पक्षों से लिखित प्रस्तुतियों, प्रति-प्रस्तुतियों और साक्ष्य दस्तावेजों के लिए कॉल; और

(ख) आवश्यक समझे जाने पर सुनवाई या बैठकें आयोजित करें।

(4) महानिदेशक एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करके विवाद का निपटारा करेगा और दोनों पक्षों को इसकी सूचना देगा।

(5) इस नियम के अधीन कार्यवाही निष्पक्ष, निष्पक्ष और गोपनीय रीति से की जाएगी और जहां तक संभव हो, ऐसी शिकायत दर्ज करने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर समाप्त हो जाएगी।

(6) इस नियम में किसी भी पक्ष के सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय या अधिकरण के समक्ष सुधार करने से नहीं रोकेगा।

32. प्राप्तियां और व्यय.- (1) इन नियमों के अधीन व्यय करने वाले प्रत्येक बचावकर्ता या व्यक्ति को वाउचर, चालान और भुगतान के प्रमाण सहित सभी प्राप्तिओं और व्यय का विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए।

(2) व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे, किए गए ऐसे व्यय की तारीख से एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्री स्वामी या बीमाकर्ता को प्रस्तुत किए जाएंगे, साथ में, -

(क) मूल रसीदें या उनकी प्रमाणित प्रतियां;

(ख) प्रमाण जो यह दर्शाता है कि खर्च प्रचलित बाजार दरों पर उचित रूप से किया गया था; और

(ग) जहां आवश्यक हो, तर्कसंगतता की पुष्टि करने वाला एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से प्रमाण पत्र।

(3) निर्धारित समय के भीतर दावे प्रस्तुत करने में विफलता को जब तक पर्याप्त कारण नहीं दिखाया जाता है, तब तक वसूली को रोक दिया जाएगा।

33. शक्ति. - इन नियमों के उपबंधों का कोई भी उल्लंघन या उसकी किसी आवश्यकता का अनुपालन करने में विफलता अधिनियम की धारा 281 में निर्दिष्ट दंड के लिए उत्तरदायी होगी।

प्रथम अनुसूची

[नियम 11 देखें]

भारत सरकार द्वारा जारी किया गया

ध्वंसावशेष के प्राप्तकर्ता की हिरासत में ध्वंसावशेष या अन्य संपत्ति का दावा

*ऐसे शब्दों को मिटा दें जो लागू नहीं होते हैं

भाग -1

क्र.सं. (1)	विवरण (2)	विवरण (3)										
1.	नाम, रजिस्ट्री का पत्तन, और जलयान की आधिकारिक संख्या											
2.	स्वामी और मास्टर का नाम और निवास स्थान											
3.	दावे का शीर्षक											
4.	रिपोर्ट बही में संदर्भ संख्या											
5.	संपत्ति और उस पर चिह्नित वस्तुओं का विवरण, यदि कोई हो											
6.	अनुमानित मूल्य											
7.	संपत्ति की सुपुर्दगी पर स्वामी द्वारा भुगतान किए गए सभी फीसों का ज्ञापन	<table><tr><td>विवरण</td><td>रु.</td></tr><tr><td>अगर बेचा जाता है, तो सकल आय</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">भुगतान किए गए फीस जैसे:</td></tr><tr><td>बचाव</td><td></td></tr><tr><td>यात्रा</td><td></td></tr></table>	विवरण	रु.	अगर बेचा जाता है, तो सकल आय		भुगतान किए गए फीस जैसे:		बचाव		यात्रा	
विवरण	रु.											
अगर बेचा जाता है, तो सकल आय												
भुगतान किए गए फीस जैसे:												
बचाव												
यात्रा												

		आकस्मिक खर्च जैसे भांडागार का किराया	
		रिसीवर को देय फीस	
		फीस, यदि कोई हो, मूल्यांकनकर्ता को देय	
		बकाया फीस जैसे:	
		बचाव	
		यात्रा	
		आकस्मिक खर्च जैसे भांडागार का किराया	
		रिसीवर को देय फीस	
		फीस यदि कोई हो, मूल्यांकनकर्ता को देय	
		कुल फीस शुद्ध आय	
तारीख.....माह, 20.. के प्राप्त हुआ - @ (ऊपर स्तंभ 5 से वर्णित संपत्ति की बिक्री की शुद्ध आय)। यदि नकद में भुगतान 20 रुपये से अधिक है तो उचित मूल्य का राजस्व स्टाम्प लगाया जाना चाहिए।			

मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस मामले में दावेदार ने स्वामित्व का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत किया है, या हितों का अभिकरण असाइनमेंट और मैं उसे कॉलम 5 में वर्णित संपत्ति के दावे (बिक्री की शुद्ध आय) का हकदार मानता हूँ; स्तंभ 7 में बताए गए सभी उचित खर्चों का भुगतान किया गया है।

*शीर्षक के बारे में संदेह की किसी भी स्थिति में इस अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट घोषणा की आवश्यकता होनी चाहिए

.....तारीख _____ माह, 20

प्राप्तकर्ता दावेदार के हस्ताक्षर

भाग 2

जब प्राप्तकर्ता को उसके शीर्षक के बारे में कोई संदेह हो तो दावेदार द्वारा की जाने वाली घोषणा

दावे के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण

मैं, _____ पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ:

1. कि दूसरी ओर के प्ररूप के स्तंभ 1, 2, 3, 4, 5 और 7 में अन्तर्विष्ट विशिष्टियां सही और सत्य हैं।
2. कि मैं उसमें वर्णित संपत्ति के कब्जे का हकदार हूँ, और यह कि मैं इसके द्वारा उक्त संपत्ति के कब्जे का दावा करता हूँ, जो सभी उचित खर्चों के भुगतान के अधीन है।
3. कि इसके साथ प्रस्तुत किया गया दस्तावेज़, स्वामित्व, अभिकरण या हितों के समनुदेशन के साक्ष्य के रूप में और उक्त प्ररूप के स्तंभ 8 में वर्णित सत्य और वास्तविक दस्तावेज़ हैं, और उक्त ऐसे दस्तावेज़ों में निर्दिष्ट _____ वही व्यक्ति है जिसका नाम ऊपर दिया गया है।

और मैं यह सत्यनिष्ठा से यह विश्वास करते हुए घोषणा कर रहा हूँ कि यह सत्य है।

मेरे समक्ष _____ पर घोषित किया गया

.....तारीख _____ मास, 20

दावेदार के हस्ताक्षर

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

क्र. सं.	श्रेणी	विशिष्टियां	विवरण
1.	साधारण	प्राप्ति की तारीख	
2.		अनुमानित मूल्य	
3.			
		संपत्ति का विवरण	
4.		स्वामी का नाम और पता, यदि ज्ञात हो	
5.		जलयान के पंजीकरण का शासकीय सख्या	

क्र. सं.	श्रेणी	विशिष्टियां	विवरण																	
		और पत्तन नाम यदि ज्ञात हो																		
6.	उद्धारकर्ता की विशिष्टियां	जिस तारीख को पाया गया																		
7.		सटीक स्थान जहां पाया गया																		
8.		प्रदान की गई सेवाएँ																		
9.		उद्धारकर्ता का नाम																		
10.		उद्धारकर्ता का पता																		
11.	ध्वंसावशेष के संबंध में संव्यवहार	ध्वंसावशेष पर प्रभार	<table><tr><th>विवरण</th><th>रु.</th></tr><tr><td>यात्रा</td><td></td></tr><tr><td>आनुषंगिक व्यय जैसे भंडागार किराया, ढुलाई, आदि।</td><td></td></tr><tr><td>प्राप्तकर्ता को देय फीस</td><td></td></tr><tr><td>फीस, यदि कोई हो, मूल्यांकनकर्ता को देय</td><td></td></tr><tr><td>सीमा - शुल्क</td><td></td></tr><tr><td>उद्धारकर्ता</td><td></td></tr><tr><td>कुल प्रभार</td><td></td></tr></table>	विवरण	रु.	यात्रा		आनुषंगिक व्यय जैसे भंडागार किराया, ढुलाई, आदि।		प्राप्तकर्ता को देय फीस		फीस, यदि कोई हो, मूल्यांकनकर्ता को देय		सीमा - शुल्क		उद्धारकर्ता		कुल प्रभार		
विवरण			रु.																	
यात्रा																				
आनुषंगिक व्यय जैसे भंडागार किराया, ढुलाई, आदि।																				
प्राप्तकर्ता को देय फीस																				
फीस, यदि कोई हो, मूल्यांकनकर्ता को देय																				
सीमा - शुल्क																				
उद्धारकर्ता																				
कुल प्रभार																				
12.		स्वामी से प्राप्त धन की राशि	<table><tr><th>विवरण</th><th>रु.</th></tr><tr><td>बचाव आदि के लिए जमा राशि के</td><td></td></tr></table>	विवरण	रु.	बचाव आदि के लिए जमा राशि के														
विवरण	रु.																			
बचाव आदि के लिए जमा राशि के																				

क्र. सं.	श्रेणी	विशिष्टियां	विवरण
			रूप में। जिसमें से संविदा के अनुसार प्रभारों के भुगतान में निपटाया गया स्वामी को वापस की गई जमा राशि का अतिशेष संविदा के अनुसार प्रभार के भुगतान के रूप में।
13.		ध्वंसावशेष का विक्रय तारीख	
14.		ध्वंसावशेष का विक्रय किया गया	
15.	विक्रय किए गए ध्वंसावशेष की	विक्रय से प्राप्त राशि	सकल आगमः प्रति स्तंभ 11 व्यय घटाया गया
16.	विशिष्टियां बेचा गया	शुद्ध सकल स्वामी को दी जानी है या जमा राशि के तौर पर रखी जानी है	
17.	ध्वंसावशेष को वितरित किया गया	परिदान के भुगतान की तारीख	
18.	या स्वामी को	किसको भुगतान किया या वितरित किया गया	
19.	विक्रय की राशि का भुगतान	चाहे स्वामी हो या अभिकर्ता आदि।	
20.	किया गया	संदर्भ वाउचर और पत्राचार या बाईं ओर दर्ज विशिष्टियां	

संदर्भ संख्या:

आगे की विशिष्टियां:

दूसरी अनुसूची

[नियम 16 देखें]

भारत सरकार द्वारा जारी किया गया

रिपोर्ट बही

ध्वंसावशेष की विशिष्टियां

नीचे निर्दिष्ट ध्वंसावशेष प्राप्तकर्ता द्वारा कब्जा कर लिया गया।

अधिकारी का नाम	कार्यालय का नाम	अधिकारिता क्षेत्र

टिप्पण: इस रिपोर्ट बुक में प्राप्तकर्ता द्वारा हिरासत में लिए गए या उसके द्वारा जब्त किए गए या उसके बारे में रिपोर्ट किए गए ध्वंसावशेष या अन्य वस्तुओं की पूरी विशिष्टियां और उसके संबंध में सभी लेनदेन शामिल होंगे। ऐसे मामले जिनमें प्राप्तकर्ता संकटग्रस्त पोत को सेवाएं प्रदान करता है लेकिन उसे अपनी हिरासत में नहीं लेता है, उन्हें भी इसमें दर्ज किया जाना है।

वास्तव में, रिपोर्ट बुक को इस तरह से रखा जाना चाहिए कि प्राप्तकर्ता को किसी अन्य दस्तावेज के संदर्भ के बिना तुरंत पता चल सके:

- (क) घटना की तारीख, समय और स्थिति;
- (ख) पोत और पंजीकृत स्वामी का नाम और विवरण, जहां तक उनका पता लगाया जा सके;
- (ग) ध्वंसावशेष को चिह्नित करने, उसकी रखवाली करने, उसे संरक्षित करने, हटाने या उसका निपटान करने के लिए उठाए गए किसी भी उपाय का विवरण; और
- (घ) ध्वंसावशेष या उसके किसी भाग का विवरण और अनुमानित मूल्य जिसे कब्जे में लिया गया है;
- (ङ) प्रत्येक वस्तु का मूल्य एक अलग संदर्भ संख्या के साथ;
- (च) यदि वस्तु बेचा गया है, तो विक्रय की सकल आगम;
- (छ) ऐसे ध्वंसावशेष के संबंध में प्राप्त और भुगतान की गई सभी रकमों का विवरण, जिसमें उद्धारकर्ता फीस, व्यय और फीस शामिल हैं।
- (ज) इसके लिए प्राप्त और भुगतान की गई सभी राशियाँ;
- (झ) संपत्ति का निपटान या बिक्री की आगम;
- (ञ) कोई अन्य प्रासंगिक विवरण जो सूचित किया जाना है।

तीसरी अनुसूची

[नियम 28 देखें]

भारत सरकार द्वारा जारी किया गया

उद्धारकर्ता प्रतिधारण के अनुमोदन के लिए आवेदनों के मूल्यांकन के लिए सूची की जाँच

क्र.सं.	मानदंड	आवश्यकताएं	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रासंगिक नियामक निकाय (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय) के साथ रजिस्ट्रीकरण	अनिवार्य	निगमन प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की जानी है
2	कंपनी का प्रकार (भारतीय कंपनी, भारतीय सहायक कंपनियां, कंसोर्टियम, संयुक्त उद्यम या एक भारतीय इकाई के साथ रणनीतिक गठबंधन)	अनिवार्य	भारतीय सहायक कंपनियों, कंसोर्टियम, संयुक्त उद्यमों या भारतीय इकाई के साथ रणनीतिक गठबंधनों के मामले में, सभी संस्थाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाना है
3	(भारतीय) इकाई की कुल प्रदत्त पूंजी	1 करोड़ (अधिमानित)	आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य
4	भारतीय इकाई/भारतीय इकाई के साथ संयुक्त उद्यम की दर्शाने वाले सकारात्मक शुद्ध आय और टर्नओवर का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण	1 वर्ष (अनिवार्य)	आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य <u>टिप्पणः नवगठित संयुक्त उद्यम इकाई के मामले में, सकारात्मक शुद्ध मूल्य और कारोबार मानदंड को दर्शाने वाले वित्तीय विवरणों के लिए प्रत्येक इकाई के पूर्ववर्ती व्यक्तिगत टर्नओवर को ध्यान में रखा जाएगा।</u>
5	प्रचालन सेट-अप/भारतीय तट के आसपास स्टैंड-बाय स्थान	भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर प्रत्येक पर 12 महीनों के भीतर न्यूनतम प्रचालन सेट-अप/स्टैंड-बाय स्थानों की स्थापना (3 वर्षों के भीतर भारतीय तट के आसपास न्यूनतम 4 स्थानों की स्थापना का आश्वासन)	विद्यमान सुविधा के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला साक्ष्य। आवेदन के साथ विस्तृत सेटअप योजना प्रस्तुत की जानी है

6	स्टैंडबाय पर उपलब्ध परिसंपत्तियाँ/उपकरण	अनिवार्य	भारत में उपलब्ध परिसंपत्तियों/उद्धारण उपकरणों का प्रमाण या जिसे भारत में भेजा जा सकता है, आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना है
7	मानवशक्ति आवश्यकताएं (उद्धारण मास्टर, पोत वास्तुविद, रसायनज्ञ, अग्निशमन विशेषज्ञ और अन्य उद्धारण कार्मिक) न्यूनतम अपेक्षा के साथ कि एक उद्धारणकर्ता पूर्वी और पश्चिमी तटों दोनों पर एक साथ आपात स्थितियों का जवाब दे सकता है।	अनिवार्य	उद्धारण मास्टर ¹ , पोत वास्तुविद, रसायनज्ञ, अग्निशमन विशेषज्ञ और अन्य उद्धारण कार्मिकों उद्धारण कार्मिक का विवरण, अर्हताएं और अनुभव प्रदान किया जाना है।
8	पिछले 05 वर्षों में उद्धारण प्रचालनों के सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव।	न्यूनतम 4 उद्धारण प्रचालनों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया (अनिवार्य)	उद्धारण प्रचालनों के सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना है
9	पिछले 10 वर्षों में हिंद महासागर क्षेत्र, लाल सागर, अदन की खाड़ी और फारस की खाड़ी के आसपास उद्धारण प्रचालनों के संचालन का अनुभव	न्यूनतम 2 उद्धारण प्रचालनों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया (अधिमानित)	बचाव अभियान के सफल समापन का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना है
10	किसी भी असफल बचाव के कार्यों के ब्यौरे	यथा लागू	आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित ब्यौरे
11	अंतर्राष्ट्रीय बचाव संघ के सदस्य	वैकल्पिक	आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य। जेवी के मामले में आईएसयू मान्यता भागीदारों में से एक की हो सकेगी।
12	प्रतिष्ठित बीमाकर्ता द्वारा पर्याप्त व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा को बचाव कंपनी द्वारा अनुरक्षित किए जाएंगे।	अनिवार्य	आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण
13	उपकरणों की सूची और उनके स्थानों के साथ भारत में एमपीआरओ (समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रचालकों) के साथ समझौता करें	वैकल्पिक	जब अनुमोदित एमपीआरओ सूची प्रकाशित की जाती है तो आवेदन के साथ जमा किए जाने के लिए एमपीआरओ के साथ संबंध का प्रमाण आवश्यक है

14	टग के आपातकालीन तैनाती के लिए पोत प्रचालकों/मालिकों/प्रबंधकों के साथ समझौता/समझौता ज्ञापन	समझौते में यह उल्लेख होना चाहिए कि सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर टग को तैनात कर दिया जाए (अनिवार्य)	आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले पोत प्रचालकों/मालिकों/प्रबंधकों के साथ गठजोड़/समझौता ज्ञापन का प्रमाण
15	संपर्क बिंदु की 24 7 उपलब्धता: बचाव प्रचालकों के लिए नोडल अधिकारी।	अनिवार्य	संपर्क बिंदु के ब्यौरे साथ प्रदान की जाने वाली घोषणा
16	भारतीय विधि के अनुपालन करने के लिए शपथ पत्र	अनिवार्य	वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025, भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 और अन्य लागू भारतीय विधियों के अनुपालन में

¹ प्रमुख कार्मिकों को शीघ्र तैनाती के लिए अधिकारियों (पत्तनों, भारतीय तट और भारतीय नौसेना) के साथ एक कतिपय स्तर की सुरक्षा मंजूरी होगी।

¹ कार्य के विस्तार पर जोर दिया जाएगा, और बचाव मामले की जटिलता को उजागर किया जाएगा। जिसमें स्थानीय अधिकारियों और अन्य स्थानीय भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग सम्मिलित है, जो भारतीय बचाव कंपनियों और बचाव क्षमताओं की समझ और ज्ञान को दर्शाता है।

चौथी अनुसूची

[नियम 29 देखें]

भारत सरकार द्वारा जारी किया गया

समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रचालकों के प्रतिधारण के अनुमोदन के लिए आवेदनों के मूल्यांकन के लिए जाँच सूची

क्र.सं.	मानदंड	अपेक्षाएं	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुसंगत नियामक निकाय (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय) के साथ रजिस्ट्री।	अनिवार्य	निगमन प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की जाएगी।
2	कंपनी का प्रकार (भारतीय कंपनी, भारतीय सहायक कंपनियां, संघ, संयुक्त उद्यम या एक भारतीय इकाई के साथ रणनीतिक गठबंधन)।	अनिवार्य	भारतीय सहायक कंपनियों, संघों, संयुक्त उद्यमों या रणनीतिक गठबंधनों के मामले में, सभी संस्थाओं का ब्यौरे प्रस्तुत किया जाएगा।
3	(भारतीय) इकाई की कुल प्रदत्त पूंजी।	10 लाख (वैकल्पिक)	आवेदन के साथ अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे।
4	भारतीय इकाई, भारतीय सहायक कंपनियां, कंसोर्टियम या भारतीय इकाई के साथ संयुक्त उद्यमों के सकारात्मक शुद्ध मूल्य और कारोबार को दर्शाने वाले संपरीक्षित वित्तीय विवरण।	1 साल (अनिवार्य)	आवेदन के साथ अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। टिप्पण: नवगठित संयुक्त उद्यम इकाई के मामले में, सकारात्मक निवल मूल्य और कारोबार मानदंड को दर्शाने वाले वित्तीय विवरणों के लिए प्रत्येक इकाई के पूर्ववर्ती

			व्यक्तिगत टर्नओवर को ध्यान में रखा जाएगा।
5	प्रचालन सेट-अप/भारतीय तट के आसपास स्टैंड-बाय स्थान।	परिभाषित तटीय क्षेत्र, राज्य या आसन्न समुद्री क्षेत्रों के समूह में एक या अधिक प्रचालन आधार की स्थापना।	विद्यमान सुविधा या किसी अन्य प्रसुविधा जिसका निर्माण किया जाना है कि लिए प्रस्तुत किए जाने वाला साक्ष्य।
6	स्टैंडबाय पर उपलब्ध संपत्ति/उपकरण (स्वामित्व वाली आस्ति, पट्टे पर ली गई आस्ति, ढांचागत संकाय व्यवस्था, नीतिगत साझेदारी या आपसी सहायता करार, या अन्य सुनिश्चित सुगम्य तंत्र)।	अनिवार्य	राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना (एनओएस-डीसीपी) और एचएनएस स्पिल एट सी (एचएनएस-सीपी) के लिए संकट प्रबंधन योजना के स्तर 1 और/या स्तर 2 के अधीन अपेक्षित आस्ति/रिसाव प्रतिक्रिया उपकरण के साक्ष्य आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे।
7	मैनपावर अपेक्षाएं: प्रतिक्रिया प्रचालन का समर्थन करने के लिए आईएमओ स्तर के प्रशिक्षित वरिष्ठ कार्यकारी, प्रचालन अधिकारी, पर्यवेक्षक, प्रचालक और अन्य पर्याप्त कर्मिकों की पर्याप्त संख्या रखी जाएगी।	अनिवार्य	विशेषज्ञ और कर्मिकों के ब्यौरे, अर्हताएं और अनुभव प्रदान किए जाएंगे।
8	पिछले 05 वर्षों में सफल स्पिल प्रतिक्रिया प्रचालकों के पूरा होने का अनुभव।	न्यूनतम 4 रिसाव प्रतिक्रिया प्रचालकों का सफल समापन। (वैकल्पिक)	रिसाव प्रतिक्रिया प्रचालन के सफल समापन के साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं।
9	पिछले 10 वर्षों में हिंद महासागर क्षेत्र, लाल सागर, अदन की खाड़ी और फारस की	न्यूनतम 2 रिसाव प्रतिक्रिया कार्यों का सफल समापन। (वैकल्पिक)	रिसाव प्रतिक्रिया प्रचालन के सफल समापन का साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं।

	खाड़ी के आसपास रिसाव प्रतिक्रिया संचालन करने का अनुभव।		
10	किसी असफल रिसाव प्रतिक्रिया प्रसंचालन के ब्यौरे।	यथा लागू	आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले अपेक्षित ब्यौरे।
11	अभ्यासों, ड्रिल, तैनाती, परिचालन प्रदर्शन और/या तैयारी कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का अनुभव।	वैकल्पिक	अभ्यासों, ड्रिल्स, तैनाती, परिचालन प्रदर्शन और/या तैयारी कार्यक्रमों के सफल समापन के साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं।
12	प्रदूषण गियर की तैनाती के लिए पोत प्रचालकों/स्वामियों/प्रबंधकों के साथ आपूर्ति पोतों/टग के लिए समझौता ज्ञापन।	वैकल्पिक	आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले पोत प्रचालकों /स्वामी/प्रबंधकों के साथ गठजोड़/समझौता ज्ञापन का साक्ष्य।
13	संपर्क बिंदु की 24 7 उपलब्धता: समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया प्रचालकों के लिए नोडल अधिकारी।	अनिवार्य	संपर्क बिंदु के ब्यौरे के साथ प्रदान की जाने वाली घोषणा।
14	भारतीय विधियों का पालन करने के लिए शपथ पत्र।	अनिवार्य	वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025, भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 और अन्य लागू भारतीय विधि के अनुपालन में।

[3: कार्य के विस्तार पर जोर दिया जाएगा, और स्पिल प्रतिक्रिया की जटिलता को उजागर किया जाएगा, जिसमें स्थानीय अधिकारियों और अन्य स्थानीय भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग सम्मिलित है, जो भारतीय स्पिल प्रतिक्रिया संगठनों और प्रतिक्रिया क्षमताओं की समझ और ज्ञान का दर्शाता है।]

प्ररूप क

[नियम 6 देखें]

अधिनियम की धारा 244 के अधीन अनुरक्षित किए गए बीमा प्रमाणपत्र या अन्य वित्तीय प्रतिभूति जारी करने या नवीनीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप

1. पोत का नाम:

2. विशिष्ट संख्या या अक्षर:

3. रजिस्ट्री का पत्तन:

4. पोत स्वामी का नाम और पता:

5. (i) सकल टन भार:

(ii) शुद्ध टन भार:

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न करें) :

6. (क) बीमा या अन्य वित्तीय का विशिष्टियां

सुरक्षा बनाए रखी गई :

(बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के रखरखाव को दिखाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)।

(ख) विधिमान्यता की अवधि

(वैधता की अवधि दिखाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)

7. संदत्त की गई फीस (रुपये में):

(फीस के सफल संदाय को दर्शाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप में दी गई विशिष्टियाँ मेरे सर्वोच्च ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप तदनुसार बीमा प्रमाणपत्र या अन्य वित्तीय सुरक्षा जारी करें।

मुझे इस आवेदन को करने के लिए स्वामी द्वारा प्राधिकृत किया गया है (किसी अभिकरण के मामले में)।

स्थान:

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

- यदि लागू नहीं है तो काट दें।
- कोई विद्यमान या समाप्त हो चुका प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा

प्ररूप ख

[नियम 7 देखें]

(रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्ररूप)

ध्वंसावशेष को हटाने के लिए उत्तरदायित्व के संबंध में

बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा का प्रमाणपत्र

ध्वंसावशेष हटाने पर अंतर्राष्ट्रीय नैरोबी अभिसमय, 2007 के अनुच्छेद 12 के उपबंधों के अनुसरण में जारी किया गया

पोत का नाम	सकल टन भार	अक्षरों की विशिष्ट संख्या	आईएमओ पोत पहचान संख्या	रजिस्ट्री का पत्तन	रजिस्ट्रीकृत स्वामी के व्यवसाय के प्रमुख स्थान का नाम और पूरा पता

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पोत के संबंध में, ध्वंसावशेष हटाने पर अंतर्राष्ट्रीय नैरोबी अभिसमय, 2007 के अनुच्छेद 12 की अपेक्षाओं को पूरा करने वाली बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा नीति लागू है।

सुरक्षा का प्रकार

सुरक्षा की अवधि

बीमाकर्ता (ओं) और/या गारंटर (ओं) का नाम और पता

नाम

पता:

इस प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि:

भारत सरकार द्वारा जारी या प्रमाणित

.....

(राष्ट्र का पूर्ण पदनाम)

अथवा

जब कोई राष्ट्र पक्ष अनुच्छेद 12, पैरा 3 का लाभ उठाता है तो निम्नलिखित पाठ का उपयोग किया जाएगा:

वर्तमान प्रमाण पत्र, ...(राष्ट्र का पूर्ण पदनाम) द्वारा..... (संस्था या संगठन का नाम) के प्राधिकार के अधीन जारी किया गया है।

स्थान तारीख.....।

(स्थान)

(तारीख)

.....

(जारी करने या प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और नाम)

प्ररूप ग

[नियम 8 देखें]

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 के अधीन अनुरक्षित किए गए बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के अनुलिपि प्रमाणपत्र के लिए आवेदन का प्ररूप

1. पोत का नाम:
2. विशिष्ट संख्या या अक्षर:
3. रजिस्ट्री का पत्तन:
4. स्वामी/अभिकरण का नाम और पता:
5. (i) सकल टन भार:
(ii) शुद्ध टनभार :
(रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न करें)
6. (क) अनुरक्षित किए गए बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा की विशिष्टियां
(बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा के रखरखाव को दिखाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)
(ख) विधिमान्यता की अवधि:
(विधिमान्यता की अवधि दिखाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)
7. संदत्त फीस का भुगतान (रुपये में):
(फीस के सफल भुगतान को दर्शाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप में निहित संदत्त विशिष्टियां मेरे सर्वोच्च ज्ञान के अनुसार सत्य और सही हैं और नियम 7 में वर्णित बीमा प्रमाणपत्र निम्नलिखित परिस्थितियों में विरूपित/नष्ट या अन्यथा खो गया था:-

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप तदनुसार बीमा प्रमाणपत्र की एक प्रति जारी करें। मुझे स्वामी द्वारा यह आवेदन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है (किसी अभिकरण के मामले में)।

स्थान :

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम:

पता :

- यदि लागू नहीं है तो काट दें।
- आवेदन के साथ संलग्न किया जाने वाला विरूपित प्रमाणपत्र

[फा. सं. एसवाई-19014/194/2025-एमजी]

वेंकटेशपति एस, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2026

G.S.R. 910(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (b), (d), (e), (f), (g), (h) and (i) of sub-section (2) of section 260 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) and in supersession of the Merchant Shipping (Wrecks and Salvage) Rules, 1974, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Wreck and Salvage) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) “Act” means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

(b) “Committee” means the Committee referred to in rule 28 for the empanelment of salvors;

(c) “Form” means a Form appended to these rules;

(d) “marine pollution response contract” means a contract entered into by the registered owner of the vessel with a marine pollution response operator referred to in rule 29;

(e) “marine pollution response operator” means the marine pollution response operator referred to in rule 29 who owns or controls resources for removal of dangerous, hazardous, noxious substances and oil spill, or any other substance that may cause harm to the marine environment, including equipment, trained personnel and expertise, designed to respond effectively to hazardous, noxious substances and oil spill incidents;

(f) “salvage contract” means a contract entered into by the registered owner of the vessel with a salvor notified under section 255 of the Act and this rule;

(g) “salvage operations” means any act or activity undertaken to assist a vessel or any other property in danger in coastal waters;

(h) “Schedule” means a Schedule appended to these rules;

(i) “valuer” means any person appointed by the receiver of the wreck under these rules to assess the value of any ship, or any equipment of such ship, or any other article of cargo or stores of such ship;

(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Manner to report wreck. — Subject to the provisions of sub-sections (1) and (2) of section 236 of the Act, the master or ship owner or operator of the ship, shall report the incident, including therein the following information, namely: —

(a) the name and principal place of business of the registered owner;

(b) the precise location or geographic coordinates of wreck;

(c) the type, size and construction of wreck;

(d) the nature of damage and condition of wreck;

(e) the nature and quantity of cargo;

(f) the quantity and types of hazardous noxious substances, oil on board, including bunkers and lubricating oils;

(g) whether the wreck constitutes a hazard, posing a danger or impediment to navigation, or may be expected to result in major harmful consequences to the marine environment or damage to the coastline;

(h) mitigation plan or course of action to mitigate the hazard posed by the wreck.

4. Marking of wrecks. — (1) Upon receiving a report of a wreck, the Director-General shall employ all practicable means and resources, including the National Hydrographic Office, Directorate-General of Light Houses and Lightships, port authorities, or any other appropriate mechanism, to issue a navigational warning indicating the position of the wreck and any other relevant information.

(2) The navigational warning referred to in sub-rule (1), shall be broadcast by all means available, including World-Wide Navigational Warning Service, Automatic Identification System, Navigational Telex, International Maritime Organisation recognised mobile-satellite communication service.

(3) The Director-General may direct the owner or operator of the ship to undertake all necessary measures for marking the wreck, under section 238 of the Act, in accordance with the provisions of the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021) and the recommendations and guidelines on aids to navigation published by the International Organisation for Marine Aids to Navigation.

(4) The Director-General may give directions to the receiver of wreck or the port authorities or the Maritime Board or the Directorate General of Light Houses and Lightships, as the case may be, within their respective jurisdiction, to facilitate locating of wreck or marking of the wreck, or both.

5. Measures to facilitate removal of wrecks. – (1) Where a ship has been involved in a maritime casualty and the ship or any part thereof or any cargo from such ship constitutes a wreck in the coastal waters, the registered owner or operator of ship shall primarily be responsible for the removal of such wreck in accordance with section 242 of the Act.

(2) The receiver of wreck shall coordinate, direct and supervise measures relating to the locating, marking, securing, removal or disposal of the wreck for the purposes of facilitating the removal of wreck referred to in sub-rule (1):

Provided that, where any delay, non-compliance, or difficulty in removal is reported by the receiver of wreck, the authority may issue such further directions as may be necessary in accordance with the Act.

(3) Where the registered owner delays or fails to declare a vessel as a constructive total loss despite it posing a hazard to navigation, safety, or the marine environment, the authority or the receiver of the wreck may, upon assessment and consultation with the advisory committee, –

(a) issue a notice of abandonment on behalf of the registered owner; or

(b) declare the vessel as a constructive total loss; or

(c) declare the vessel as a wreck or facilitate the procedure for the removal of wreck,

without prejudice to the registered owner's responsibility for the removal of wreck.

(4) The port authorities or Maritime Board, as the case may be, within their respective jurisdiction, shall provide facilitative and logistical assistance, as required by the authority or the receiver of wreck, without prejudice to the primary obligation of the registered owner or ship operator to remove the wreck.

(5) The registered owner shall, within such time and in such manner as may be specified by the authority or the receiver of the wreck, appoint a salvor notified under section 255 of the Act, or marine pollution response operators referred to in rule 29, to carry out the removal of the wreck on behalf of the registered owner.

6. Application for issue or renewal of a certificate of insurance or other financial security. – (1) The registered owner of an Indian vessel, who has maintained insurance or other financial security in respect of that ship in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 244 of the Act, shall make an application to the Registrar of the port of registry where the said ship is registered, for issue or renewal of certificate of insurance or other financial security to cover his liability under the Nairobi Convention on the Removal of Wrecks, 2007, in Form A.

(2) The registered owner or operator of a ship other than an Indian vessel, registered in a State which is not a party to the convention, who has maintained insurance or other financial security in respect of such ship in accordance with the

provisions of sub-section (2) of section 244 of the Act, may make an application to the Registrar for issue or renewal of the certificate of insurance or other financial security to cover his liability under the Nairobi Convention on the Removal of Wrecks, 2007, in Form A.

(3) Every application under sub-rules (1) and (2) shall contain such be accompanied by documentary evidence regarding maintenance of such insurance or other financial security and a receipt confirming payment of fees as specified in rule 10.

7. Certificate of Insurance or other financial security in respect of liability for removal of wreck. – (1) After receiving the application under sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 6, the Registrar shall, on being satisfied about the maintenance of insurance or other financial security in respect of that ship, issue the certificate of insurance or other financial security in respect of liability under the Nairobi Convention on the Removal of Wrecks, 2007, in Form B.

(2) The Registrar shall ensure compliance of the following before issuing such certificate, namely: —

- (a) where the total amount of financial security is furnished by more than one source, the amount provided by each shall be separately indicated;
- (b) where the financial security is furnished in several forms, such forms shall be enumerated in the certificate;
- (c) the duration of security shall clearly indicate the date on which the financial security shall be in effect; and
- (d) the entry “address” of the insurer shall indicate its principal place of business and, where applicable, the place of business at which the insurance or other financial security is established.

8. Issue of duplicate certificate. – (1) Where the certificate issued under rule 7 is destroyed or defaced or lost or stolen, the registered owner or agent of the ship may apply to the Registrar of the original port of registry, for issuance of a duplicate certificate, along with the fee specified in rule 10, in Form C.

(2) In case the lost certificate under sub-rule (1) is found, it shall be returned to the Registrar where such certificate was issued.

(3) The provisions of this rule shall not apply to certificates issued in electronic form.

9. Procedure for issuance of a duplicate certificate. – (1) Where a certificate issued under these rules is destroyed or defaced or mutilated or rendered illegible or lost or stolen, the registered owner or operator of the vessel shall, without delay, report the same in writing to the Registrar of the original port of registry, indicating the circumstances of such loss, the location, and the approximate date of occurrence.

(2) In the event of the certificate being destroyed or lost or stolen, the registered owner or operator shall lodge a complaint or lost report with the nearest police station and shall submit a copy thereof to the Registrar of the original port of registry:

Provided that such a report shall clearly state, inter alia, the name and particulars of the vessel, the type, name and number of the certificate lost and the circumstances and approximate date and place of such loss.

(3) In the event of the certificate being defaced, mutilated or rendered illegible, the original certificate shall be surrendered to the Registrar.

(4) The registered owner shall cause a notice of loss to be published in two daily newspapers, one being a national daily newspaper in the English language and the other in the vernacular language of the port of registry where the vessel is registered, and shall submit copies of such publications to the Registrar:

Provided that the said notice shall contain, inter alia, the particulars of the vessel, the details of the certificate lost, and shall invite objections, if any, to the issuance of a duplicate certificate within ten days from the date of publication.

(5) After compliance with the provisions of sub-rules (2) and (3), the registered owner or operator may apply for issuance of a duplicate certificate, along with the fee specified in rule 10, and such application shall be accompanied with the following documents, namely: —

- (a) a copy of the complaint or loss report;
- (b) copies of both newspaper notices; and
- (c) an undertaking stating that if the original certificate is subsequently recovered, the same shall be surrendered to the Registrar of the original port of registry.

(6) A duplicate certificate issued under these rules shall have the same legal force and validity as the original certificate and shall bear an endorsement stating “Duplicate - Issued in lieu of Original Lost”.

10. Fees for issuance of certificate. – (1) Every application for the issue or renewal of a certificate of insurance or other financial security under rule 6 shall be accompanied by a fee of rupees ten thousand only and shall be paid through the Bharatkosh portal or such other means.

(2) A duplicate copy of the certificate under rule 8 shall be issued to the registered owner or agent, as the case may be, on payment of a fee of rupees two thousand and shall be paid through the Bharatkosh portal or such other means.

11. Claims of registered owners to wreck. – (1) All claims of the registered owner to the wreck or sale proceeds thereof shall be made to the receiver of wreck in accordance with Part I of the First Schedule:

Provided that no claim made by an agent or assignee of the registered owner of the wreck or claim in respect of any article of wreck or the sale proceeds thereof belonging to a deceased master, seaman or passenger of a wrecked ship shall be entertained unless the claimant satisfies the receiver, by production of such documentary evidence as the receiver may deem necessary, of the claimant's title thereto.

(2) Where any claim is made for delivery of a wreck or for payment of the sale proceeds thereof and the receiver of wreck has doubt as to the claimant's title, the receiver may require the claimant to complete Part II of the First Schedule and to furnish such further evidence of title as the receiver deems necessary:

Provided that the receiver may also make inquiries from the Registrar of ships, shipper, consignee or any other person as may be deemed necessary to establish the claimant's title.

12. Appointment of valuers. – (1) Where a dispute arises as to costs related to the salvage operation, the receiver of wreck may, on the application of the ship owner or the salvor, appoint a valuer to assess the value of the property and the costs incurred.

(2) Upon completion of the valuation, the receiver of wreck shall furnish copies thereof to both parties.

(3) A copy of the valuation purporting to be signed by the valuer and certified as a true copy by the receiver of wreck shall be admissible in evidence in any proceedings.

(4) The receiver of wreck may determine a reasonable fee to be paid to the valuer, which shall form a charge on the salvage expenses:

Provided that where the valuer is appointed at the request of either the ship owner or salvor without the

consent of the other party, the fees shall be borne by the party making the request.

13. Procedure for sale of a wreck. – (1) A receiver shall not sell any wreck otherwise than by public auction.

(2) Every such sale shall be made on, as is where is, basis with purchaser assuming full responsibility for any taxes, payable to Government or port authorities and for encumbrance on the wreck such as maritime lines.

(3) A notice for sale of a wreck shall be published not less than fourteen days in advance of the appointed date of sale, in three consecutive issues of at least two daily newspapers having a wide circulation in the jurisdictional Mercantile Marine Department concerned.

(4) The notice referred to in sub-rule (3) shall include the following information, namely: -

(a) the description of the wreck under sale, its site and other known details, if any;

(b) the percentage of the auction price that shall have to be paid as down-payment immediately after the conclusion of the auction;

(c) the period within which the balance amount shall be payable by the successful bidder;

(d) a provision reserving the right of the receiver, on reasonable grounds and for reasons to be recorded in writing, to reject the highest bid or to postpone or cancel the sale;

(e) a provision to the effect that amount of down-payment referred to in clause (b) shall be liable to forfeiture, if the successful bidder fails to pay full and final amount within the period as referred to in clause (c);

(f) any other details as may be deemed necessary depending upon the nature of the wreck being sold and the circumstances under which it is being sold.

(5) Where a receiver of wreck does not accept, highest bid or postpones or cancels any auction he shall record in writing the reasons therefore and make a report to the authority.

(6) Where any auction is frustrated by reason of the receiver of wreck having rejected the highest bid, or having cancelled the auction or by reason of failure on the part of the highest bidder to pay full and final amount within the period as referred to in clause (c) of sub-rule 4, the receiver shall organise a fresh sale of wreck.

(7) Where the wreck remains unsold after the auction, the receiver of wreck shall proceed with the disposal of wreck, by scrapping, recycling, destruction or by any other means necessary, without further involvement from the registered owner:

Provided that the receiver of wreck shall discharge all liability upon receiving the sale proceeds from disposal of wreck:

Provided further that the registered owners shall be liable to discharge all liability, if no sale proceeds are received from the disposal of wreck.

14. Wreck spread over two or more receiver's jurisdiction. – When a part of any wreck is washed or brought ashore within the jurisdiction of one receiver and the remaining part thereof is so washed or brought ashore in the jurisdiction of another receiver or receivers, each receiver shall act independently of each other.

15. Wreck delivered in jurisdiction of another receiver. – When a wreck found in the jurisdiction of any receiver is delivered to any other receiver, the disposal of such wreck shall be done by the receiver to whom it is delivered in the like manner as if it was found in his jurisdiction.

16. Report book. – (1) Every receiver of wreck shall, in respect of each calendar year, prepare and submit to the jurisdictional Mercantile Marine Department a report containing particulars of all wrecks occurring within their jurisdiction, in accordance with the Second Schedule.

(2) The report referred to in sub-rule (1) shall include the following details, namely: —

- (a) the date, time and position of occurrence;
- (b) the name and particulars of the ship and registered owner;
- (c) a description and estimated value of the wreck or any part thereof taken into possession;
- (d) details of any measures taken for marking, guarding, preserving, removing or disposing of the wreck; and
- (e) a statement of all monies received and paid in respect of such wreck, including salvage charges, expenses and fees.

(3) The jurisdictional Mercantile Marine Department shall collate all such reports received from Receivers of Wreck and furnish a consolidated annual report to the Director-General.

17. Conditions for reward. – The right to a reward shall be given to a salvor if the salvage operation has a useful result:

Provided that the provisions of this rule shall not apply if the salvaged vessel and the vessel undertaking the salvage operations belong to the same owner:

Provided further that the conditions for reward, criteria for fixing reward and the special compensation specified in these rules shall apply in cases where a contract for salvage operations does not exist between the salvor and the registered owner.

18. Criteria for fixing reward. – (1) The reward shall be fixed with a view to encouraging salvage operations, taking into account the following criteria, namely: —

- (a) the salvaged value of the vessel and other property;
- (b) the skill and efforts of the salvors in preventing or minimizing damage to the environment;
- (c) the measure of success obtained by the salvor;
- (d) the nature and degree of the danger;
- (e) the skill and efforts of the salvors in salvaging the vessel, other property and life;
- (f) the time used and expenses and losses incurred by the salvors;
- (g) the risk of liability and other risks run by the salvors or their equipment;
- (h) the promptness of the services rendered;
- (i) the availability and use of vessels or other equipment intended for salvage operations;
- (j) the state of readiness and efficiency of the salvor's equipment and the value thereof.

(2) The reward determined under sub-rule (1) shall be payable by the vessel and other property interests in proportion to their respective salvaged value

(3) The rewards, exclusive of any interest and recoverable legal costs, shall not exceed the salvaged value of the vessel and other property.

19. Special compensation. – (1) If the salvor has carried out salvage operations in respect of a vessel which by itself

or its cargo threatened damage to the environment and has failed to earn a reward, he shall be entitled to special compensation from the owner of that vessel equivalent to his expenses incurred:

Provided that if the salvor has prevented or minimised damage to the environment, the special compensation payable by the owner to the salvor may be increased up to a maximum of thirty per cent. of the expenses incurred by the salvor:

Provided further that the High Court having jurisdiction over the claim of the salvor may increase such special compensation if it deems it fair and just to do so, but in no event such compensation shall be more than hundred per cent. of the expenses incurred by the salvor.

Explanation. – For the purposes of this rule, the expression “expenses incurred” means the out-of-pocket expenses reasonably incurred by the salvor in the course of the salvage operation, together with a fair rate for the use of equipment and personnel actually and reasonably employed in the salvage operation.

(2) The total special compensation under this rule shall be paid only if such compensation is greater than any reward recoverable by the salvor.

(3) If the salvor has been negligent and failed to prevent or minimise damage to the environment, he may be deprived of the whole or part of any special compensation.

(4) Nothing in this rule shall prevent the owner of the vessel to seek recovery or remedy against the special compensation.

20. Apportionment between salvors. – (1) The apportionment of salvage reward between the owner, master and other persons in the service of each salving vessel, in cases where no contract exists, shall be determined on the basis of the criteria as specified in rule 18.

(2) Where salvage operations are conducted under a contract, the apportionment of reward between the salvor and the registered owner shall be determined by the law governing such contract.

21. Salvage of persons. – (1) Any remuneration shall not be taken from the person whose lives are saved.

(2) A salvor of human life, who participated in the services rendered during the incident giving rise to salvage, shall receive a fair share of the remuneration awarded to the salvor for salving the vessel, property or for preventing or minimising environmental damage.

22. Services rendered under existing contracts. – No reward or special compensation shall be payable under the provisions of rules 17, 18 or 19 unless the services rendered exceed what can be reasonably considered as due performance of a contract entered into before the danger arose.

23. Effect of salvor’s misconduct. – A salvor may be deprived of the whole or part of the reward or compensation payable under rules 17, 18 or 19 to the extent that the salvage operations have become necessary or more difficult due to the salvor’s fault or neglect, or if the salvor has been found guilty of fraud or other dishonest conduct.

24. Interest. – (1) A salvor shall be entitled to interest on any sum awarded or agreed to be awarded under these rules, from the date on which such sum became due until the date of actual payment.

(2) The rate of interest shall, unless otherwise agreed between the parties, be six per cent. per annum.

25. Cargoes owned by State. – Where, at the time of salvage operations, any non-commercial cargo owned by the Government of India or by a foreign Government is entitled to sovereign immunity under generally recognised principles of international law, no seizure, arrest or detention of, or in rem proceedings against, such cargo shall be effected, and no provision of the Act or these rules shall be invoked in respect thereof, unless the Government concerned has expressly waived such immunity or has consented thereto in writing.

26. Humanitarian cargoes. – No provisions of the Act or these rules shall be used as a basis for the seizure, arrest or detention of humanitarian cargoes donated by a State, in case the Government of such State has agreed to pay for salvage services rendered in respect of such humanitarian cargoes.

27. Circumstances under which authority shall undertake salvage. – (1) The authority shall undertake salvage operations or assume control of salvage operations under the following circumstances, namely: —

(a) where—

- (i) a registered owner of the vessel does not appoint salvors to render salvage operations; or
- (ii) where the owner of the vessel or the appointed salvors fail to take necessary measures within such time as may be specified by the authority,

having regard to the circumstances of the case;

(b) where—

- (i) a wreck has been determined to constitute a hazard under section 237 of the Act and poses a danger or impediment to navigation or may reasonably be expected to result in major harmful consequences to the marine environment or damage to the coastline; and
- (ii) the registered ship owner or operator has failed to discharge the obligation to remove such wreck under sub-section (7) of section 242 of the Act within the specified time or has not responded to directions issued thereunder; or

(c) such other circumstances as the authority may deem necessary.

(2) The authority may appoint any Government or private entity for undertaking salvage operations required under this rule.

(3) The cost proportionately incurred by the authority for undertaking salvage operations, as specified in section 250 of the Act, shall be borne by or recovered from the owner of the vessel, cargo, equipment or wreck.

28. Committee for retention of salvors. – (1) There shall be a committee to evaluate applications for retention of salvors under section 255 of the Act, consisting of the following members, namely:—

- (a) Nautical Advisor – Chairperson;
- (b) Chief Surveyor – Member;
- (c) Chief Ship Surveyor – Member;
- (d) Principal Officer, Mercantile Marine Department – Member;
- (e) Nautical Surveyor – Member Secretary;
- (f) representative from the Ministry of Ports, Shipping and Waterways – Member;
- (g) Deputy Conservator of Mumbai Port Authority – Member;
- (h) Deputy Conservator of Jawaharlal Nehru Port Authority – Member;

- (i) Special Casualty Representative – Member;
- (j) Any other expert co-opted by the Chairperson – Member.

(2) The committee shall assess applications for retention of salvors under section 255 of the Act, based on the criteria specified in the Third Schedule.

(3) The meetings of the committee shall be convened at least once in a calendar year by the Chairperson or a nominee of the Chairperson, and the quorum shall consist of at least half of the members, including the Chairperson or his nominee:

Provided that the committee may, where necessary, convene such additional meetings for the effective discharge of its functions under these rules.

(4) The committee shall forward its recommendations to the authority, which shall approve or reject such recommendations.

(5) The authority shall, at such intervals as may be considered appropriate, review and update the list of salvors, retained under the Act, and may remove from the list any salvor whose authorisation has been suspended or withdrawn.

(6) Subject to the provisions of these rules, the committee may regulate its own procedure, including the manner of seeking additional information from applicants, the procedure for making representations, and the recording of minutes of its meetings.

29. Retention of marine pollution response operators. — (1) The authority shall maintain a list of marine pollution response operators, having qualifications and experience based on the criteria specified in the Fourth Schedule.

(2) The committee referred to in rule 28 shall assess applications for retention of marine pollution response operators.

(3) The committee shall forward its recommendations to the authority, which shall approve or reject such recommendations.

(4) The authority shall, at such intervals as may be considered appropriate, review and update the list of marine pollution response operators, retained under these rules, and may remove from the list any marine pollution response operators whose authorisation has been suspended or withdrawn.

30. Maintenance of salvage contracts and Marine Pollution Response Contracts. — (1) The authority shall require registered owners of vessels to maintain valid contracts with a retained salvor and a retained marine pollution response operator to ensure effective response to marine casualties and associated pollution incidents.

(2) The salvage contract shall ensure the availability of adequate resources and trained personnel capable of performing emergency response functions including, but not limited to firefighting, salvage, lightering, dewatering, and emergency towing, commensurate with the size and type of the ship, within the response times specified by the authority.

(3) The marine pollution response contract shall ensure capability for hazardous, noxious substance and oil spill containment and recovery, shoreline protection, and pollution control operations, consistent with the area contingency plans and national response.

(4) Where the authority approves an entity, service provider, or organisation as both a salvor and a marine pollution response operator, the registered owner shall maintain a single contract with such service provider for the services of both salvage and marine pollution response.

31. Procedure for grievance redressal by Director-General. – (1) Any dispute between the registered owner of a vessel and a salvor may be referred to the Director-General for settlement by way of a written complaint along with supporting documents.

(2) The Director-General shall acknowledge receipt of the complaint within seven days and may refer the matter, along with the accompanying records, to the nautical advisor for examination.

(3) The Director-General shall examine the dispute and –

(a) call for written submissions, counter submissions, and evidentiary documents from both the parties; and

(b) conduct hearings or meetings, as considered necessary.

(4) The Director General shall settle the dispute by passing a reasoned order and communicate the same to both the parties.

(5) The proceedings under this rule shall be conducted in an impartial, fair, and confidential manner and shall, as far as practicable, be concluded within ninety days from the date of filing of such complaint.

(6) Nothing in this rule shall prevent the right of either party to seek remedy before a court or tribunal of competent jurisdiction.

32. Receipts and expenditure. – (1) Every salvor or person incurring expenditure under these rules shall maintain detailed records of all receipts and expenditures, including vouchers, invoices and proof of payment.

(2) The claims for reimbursement of expenditure shall be submitted to the registered owner or insurer within one year from the date of such expenditure incurred, accompanied by, —

(a) original receipts or certified copies thereof;

(b) evidence demonstrating that the expenditure was reasonably incurred at prevailing market rates; and

(c) a certificate from an independent valuer confirming reasonableness, where required.

(3) Failure to submit claims within the stipulated time shall bar recovery unless sufficient cause is shown.

33. Penalty. – Any contravention of the provisions of these rules or failure to comply with any requirement thereof shall be liable to penalties as specified in section 281 of the Act.

THE FIRST SCHEDULE**[see rule 11]**

Issued by the Government of India

CLAIM TO WRECK OR OTHER PROPERTY IN THE CUSTODY OF A RECEIVER OF WRECK

*Obliterate words that do not apply

PART I

Sr. No. (1)	Particulars (2)	Description (3)																		
1.	Name, Port of Registry, And Official No. of vessel																			
2.	Name and Residences of Owner and Master																			
3.	Title of Claim																			
4.	Reference Number in Report Book																			
5.	Description of Property and of Marks, thereon, if any																			
6.	Estimated Value																			
7.	Memorandum of all Charges paid by owner on delivery of Property	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="683 1482 1240 1545">Description</th> <th data-bbox="1240 1482 1410 1545">Rs.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="683 1545 1240 1610">If sold, Gross Proceeds</td> <td data-bbox="1240 1545 1410 1610"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="683 1610 1410 1675">Charges paid viz:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 1675 1240 1738">Salvage</td> <td data-bbox="1240 1675 1410 1738"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 1738 1240 1803">Travelling</td> <td data-bbox="1240 1738 1410 1803"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 1803 1240 1865">Incidental expenses Such as warehouse rent</td> <td data-bbox="1240 1803 1410 1865"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 1865 1240 1930">Fees payable to Receiver</td> <td data-bbox="1240 1865 1410 1930"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 1930 1240 1993">Fees, if any, payable to the Valuer</td> <td data-bbox="1240 1930 1410 1993"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="683 1993 1410 2051">Charge outstanding viz:</td> </tr> </tbody> </table>	Description	Rs.	If sold, Gross Proceeds		Charges paid viz:		Salvage		Travelling		Incidental expenses Such as warehouse rent		Fees payable to Receiver		Fees, if any, payable to the Valuer		Charge outstanding viz:	
Description	Rs.																			
If sold, Gross Proceeds																				
Charges paid viz:																				
Salvage																				
Travelling																				
Incidental expenses Such as warehouse rent																				
Fees payable to Receiver																				
Fees, if any, payable to the Valuer																				
Charge outstanding viz:																				

		Salvage	
		Travelling	
		Incidental expenses Such as warehouse rent	
		Fees payable to Receiver	
		Fees, if any, payable to the Valuer	
		Total Charges Net Proceeds	
		Received this -----day of 20-- @ (net proceeds of sale of the) property described form column 5 above. Revenue stamp of appropriate value to be affixed if payment in Cash exceeds Rs. 20.	

I hereby certify that the claimant in this case has produced satisfactory proof of ownership, or agency assignation of interests and that I consider him entitled to the claim (net proceeds of sale) of property described in column 5 above; payment of all just expenses as stated in column 7 having been made.

*In any case of doubt as to title the declaration specified in Part II of this Schedule should be required to be made

Dated this _____ day of _____ 20

Signature of Receiver

Claimant

PART II**Declaration to be made by Claimant when Receiver has any doubt as to his Title**

Description of Documents produced in support of Claim

I, _____ do solemnly and sincerely declare,

4. that the particulars contained in columns 1, 2, 3, 4, 5 and 7 of the Form on the other side hereof are correct and true.
5. that I am entitled to possession of the property, described therein, and that I hereby claim possession of the said property, subject to the payment of all just expenses.
6. that the document produced herewith, as evidence of ownership, agency or assignation of interests and described in column 8 of the said Form are true and genuine documents, and that the said _____ mentioned in such documents is the said _____ abovenamed.

And I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

Declared before me at _____

_____ this _____ day of 20__

Signature of Claimant

Signature of Receiver

Sr. No.	Category	Particulars	Description								
1.	General	Date of Receipt									
2.		Estimated Value									
3.		Description of Property									
4.		Name & Address of Owner, if known									
5.		Name official No. and Port of Registry of vessel, if known									
6.	Particulars of Salvage	Date on which found									
7.		Exact Spot where found									
8.		Services Rendered									
9.		Name of Salvor									
10.		Address of Salvor									
11.	Transaction in respect of Wreck	Charges on the wreck	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th><th>Rs.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Travelling</td><td></td></tr> <tr> <td>Incidental expenses such as warehouse, rent, cartage, etc.</td><td></td></tr> <tr> <td>Fees payable to Receiver</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Description	Rs.	Travelling		Incidental expenses such as warehouse, rent, cartage, etc.		Fees payable to Receiver	
Description	Rs.										
Travelling											
Incidental expenses such as warehouse, rent, cartage, etc.											
Fees payable to Receiver											

Sr. No.	Category	Particulars	Description													
			Fees, if any, payable to the Valuer													
			Customs Duty													
			Salvage													
			Total Charges													
12.		Amount of money received from owners		<table><tr><th>Description</th><th>Rs.</th></tr><tr><td>As a deposit for salvage, etc.</td><td></td></tr><tr><td>Of which was disposed of in payment of charges as per contract</td><td></td></tr><tr><td>Balance of deposit returned to owners</td><td></td></tr><tr><td>As payment of charges as per contract.</td><td></td></tr></table>			Description	Rs.	As a deposit for salvage, etc.		Of which was disposed of in payment of charges as per contract		Balance of deposit returned to owners		As payment of charges as per contract.	
Description			Rs.													
As a deposit for salvage, etc.																
Of which was disposed of in payment of charges as per contract																
Balance of deposit returned to owners																
As payment of charges as per contract.																
13.	Date of sale of wreck															
14.	Wreck sold to															
15.	Particulars of wreck Sold	Amount realized by sale	Gross proceeds:													
16.		Net Proceeds to be paid to owner or to be held in deposit	Deduct Expenses per column 11													
17.	Wreck delivered or sale proceeds paid to owners	Date of payment of delivery														
18.		To whom paid or delivered														
19.		Whether Owner or Agent etc.														
20.		Reference Vouchers and Correspondence or particulars entered over left														

Reference Number:

Further Particulars:

- (क) the date, time and position of occurrence;
- (ख) the name and particulars of the ship and registered owner, so far as they can be ascertained;
- (ग) details of any measures taken for marking, guarding, preserving, removing or disposing of the wreck; and
- (घ) a description and estimated value of the wreck or any part thereof taken into possession;
- (ङ) the value of each article bearing a separate reference number;
- (च) if the article has been sold, the gross proceeds of sale;
- (छ) a statement of all monies received and paid in respect of such wreck, including salvage charges, expenses and fees.
- (ज) all sums received and paid on account thereof;
- (झ) the disposal of the property or proceeds of sale;
- (ञ) any other relevant details which are to be reported.

THE THIRD SCHEDULE

[See rule 28]

Issued by the Government of India

CHECK LIST FOR EVALUATING APPLICATIONS FOR APPROVAL OF RETENTION OF SALVORS

Sr. No	Criteria	Requirements	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Registration with the relevant regulatory body (Ministry of Corporate Affairs)	Mandatory	Copy of certificate of incorporation to be submitted
2	Type of Company (Indian Company, Indian subsidiaries, consortiums, joint ventures or strategic alliances with an Indian Entity)	Mandatory	In case of Indian subsidiaries, consortiums, joint ventures or strategic alliances with an Indian Entity, details of all entities to be submitted
3	Total paid-up capital of the (Indian) entity	1 crore (Preferred)	Evidence required to be submitted with the application
4	Audited Financial Statements indicating positive net worth and turnover of the Indian entity/Joint Venture with Indian entity	1 years (Mandatory)	Evidence required to be submitted with the application <u>Note: In case of newly formed Joint Venture entity, preceding individual turnovers of each entity shall be taken into account' to the Financial Statements indicating positive net worth and turnover criteria.</u>
5	Operational set-up/ Stand-by locations around Indian Coast	Establishment of minimum Operational set-up/Stand-by locations at 1 location on East and West Coast of India each within 12 months (Assurance of setting up a minimum 4 locations around the Indian Coast within 3 years)	Evidence to be submitted for the existing facility. Detailed setup plan to be submitted along with the application
6	Assets/Equipment's available on standby	Mandatory	Evidence of assets/salvage equipment's available in India or which may be shipped to India, to be submitted with the application
7	Manpower Requirements (Salvage Master, Naval Architect, Chemist, Firefighting Expert and other salvage personnel) with a minimum expectation that a salvor can respond to simultaneous emergencies on both the East and West coasts.	Mandatory	Details, qualifications and experience of Salvage Master ¹ , Naval Architect, Chemist, Firefighting Expert and other salvage personnel to be provided

¹ Key personnel should preferably have a certain level of security clearance with authorities (Ports, Indian Coast and Indian Navy) for expeditious deployment.

8	Experience of successful completion of salvage operations in last 05 years. ²	Successful completion of minimum 4 salvage operations (Mandatory)	Evidence of successful completion of salvage operation to be submitted
9	Experience of conducting salvage operations around Indian Ocean Region, Red Sea, Gulf of Aden and Persian Gulf in the last 10 years	Successful completion of minimum 2 salvage operations (Preferred)	Evidence of successful completion of salvage operation to be submitted
10	Details of any unsuccessful salvage operations	As applicable	Details required to be submitted with the application
11	A Member of International Salvage Union	Preferred	Evidence required to be submitted with the application. ISU accreditation maybe of one of the partners in case of a JV.
12	Adequate Professional Indemnity insurance by reputable insurer to be maintained by Salvage company	Mandatory	Evidence required to be submitted with the application
13	Tie up with MPRO (Marine Pollution Response Operators) in India with the list of equipment's and its locations	Preferred	Evidence of tie up with MPRO required to be submitted with the application as and when the approved MPRO list is published
14	Tie up/MOU with Ship operators/owners/managers for Emergency deployment of Tugs	Agreement should state that the tugs should be mobilized within 24 hours of reporting (Mandatory)	Evidence of tie up/MOU with Ship operators / owners/ managers required to be submitted with the application
15	24 X 7 availability of Point of Contact: Nodal Officer for the Salvage Operators.	Mandatory	Declaration to be provided with the details of Point of Contact
16	Affidavit to comply with Indian laws	Mandatory	In compliance with the Merchant Shipping Act, 2025, Indian Ports Act, 2025 & other applicable Indian Laws

² emphasis should be placed on the scope of work, and the complexity of the salvage case is to be highlighted. Including cooperation with local authorities and other local Indian companies, which is demonstrative of the understanding and knowledge of Indian salvage companies and salvage capabilities.

THE FOURTH SCHEDULE

[See rule 29]

Issued by the Government of India

CHECK LIST FOR EVALUATING APPLICATIONS FOR APPROVAL OF RETENTION OF MARINE POLLUTION RESPONSE OPERATORS

Sr. No	Criteria	Requirements	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Registration with the relevant regulatory body (Ministry of Corporate Affairs).	Mandatory	Copy of certificate of incorporation to be submitted.
2	Type of Company (Indian Company, Indian subsidiaries, consortiums, joint ventures or strategic alliances with an Indian Entity).	Mandatory	In case of Indian subsidiaries, consortiums, joint ventures or strategic alliances, details of all entities to be submitted.
3	Total paid-up capital of the (Indian) entity.	10 lakhs (Preferred)	Evidence required to be submitted with the application.
4	Audited Financial Statements indicating positive net worth and turnover of the Indian entity, Indian subsidiaries, consortiums or joint ventures with Indian entity.	1 years (Mandatory)	Evidence required to be submitted with the application. Note: In case of newly formed Joint Venture entity, preceding individual turnovers of each entity shall be taken into account' to the Financial Statements indicating positive net worth and turnover criteria.
5	Operational set-up/ Stand-by locations around Indian Coast.	Establishment of one or more operational base in a defined coastal region, state or group of adjacent maritime areas.	Evidence to be submitted for the existing facility or any facility which is to be built.
6	Assets/Equipment's available on standby (owned assets, leased assets, framework agreements, consortium arrangements, strategic partnerships or mutual aid agreements, or other assured access mechanisms).	Mandatory	Evidence of assets/spill response equipment's as required under Tier 1 and/or Tier 2 of the National Oil Spill Disaster Contingency Plan (NOS-DCP) and Crisis Management Plan for HNS Spill at Sea (HNS-CP) to be submitted with the application.
7	Manpower Requirements: should have adequate number of IMO Level trained Senior Executive, Operational Officers, Supervisor, Operator, and other sufficient personnel to support response operations.	Mandatory	Details, qualifications and experience of expert and personnel to be provided.

8	Experience of successful completion of spill response operations in last 05 years. ³	Successful completion of minimum 4 spill response operations. (Preferred)	Evidence of successful completion of spill response operation to be submitted
9	Experience of conducting spill response operations around Indian Ocean Region, Red Sea, Gulf of Aden and Persian Gulf in the last 10 years.	Successful completion of minimum 2 spill response operations. (Preferred)	Evidence of successful completion of spill response operation to be submitted.
10	Details of any unsuccessful spill response operations.	As applicable	Details required to be submitted with the application.
11	Experience of engagement in exercises, drills, deployments, operational demonstrations and/or preparedness programmes.	Preferred	Evidence of successful completion of exercises, drills, deployments, operational demonstrations and/or preparedness programmes to be submitted.
12	Tie up/MOU with Ship operators/owners/managers for supply vessels/tugs for deployment of pollution gear.	Preferred	Evidence of tie up/MOU with Ship operators / owners/ managers required to be submitted with the application.
13	24 X 7 availability of Point of Contact: Nodal Officer for the Marine Pollution Response Operators.	Mandatory	Declaration to be provided with the details of Point of Contact.
14	Affidavit to comply with Indian laws.	Mandatory	In compliance with the Merchant Shipping Act, 2025, Indian Ports Act, 2025 & other applicable Indian Laws.

³ emphasis should be placed on the scope of work, and the complexity of the spill response is to be highlighted, including cooperation with local authorities and other local Indian companies, which is demonstrative of the understanding and knowledge of Indian spill response organizations and response capabilities.

FORM A

[See rule 6]

FORM OF APPLICATION FOR ISSUANCE OR RENEWAL OF CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY MAINTAINED UNDER SECTION 244 OF THE ACT

8. Name of the Ship :
9. Distinctive Number or letters :
10. Port of Registry :
11. Name of Ship Owner and address :
12. (i) Gross Tonnage :
(ii) Net Tonnage :
(Attach a photocopy of Certificate of Registry) :
13. (a) Particulars of Insurance or other financial security maintained :
(Attach documentary evidence to show maintenance of insurance or other financial security)'.
...
(b) Period of validity :
(Attach documentary evidence to show period of validity)
14. Fee paid (in rupees) :
(Attach documentary evidence to show successful payment of the fee)

I hereby solemnly declare that the particulars given in this form are true and correct to the best of my knowledge and belief. I request you to issue Certificate of Insurance or other Financial Security accordingly.
I have been authorized by the owner to make this application (in case of an agent).

Place:

Date:

Signature of Applicant
Name:

- Strike out if not applicable.
- any existing or expired certificate shall be enclosed

FORM B

[See rule 7]

(Form of Certificate to be issued by the Registrar)

**CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY
IN RESPECT OF LIABILITY FOR THE REMOVAL OF WRECKS**Issued in accordance with the provisions of article 12 of the Nairobi International
Convention on the Removal of Wrecks, 2007

Name of Ship	Gross Tonnage	Distinctive number of letters	IMO Ship Identification Number	Port of Registry	Name and full address of the principal place of business of the registered owner

This is to certify that there is in force, in respect of the above-named ship, a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of article 12 of the Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007.

Type of Security

Duration of Security

Name and Address of the Insurer (s) and/or Guarantor (s)

Name

Address:

This certificate is valid until:

Issued or certified by the Government of India

.....

(Full designation of the State)

OR

The following text should be used when a State Party avails itself of article 12, paragraph 3:

The present certificate is issued under the authority of the Government of..... (full designation of the State) by (name of institution or organization)

At On

(Place)

(Date)

.....
(Signature and Title of issuing or certifying official)

FORM C

[See rule 8]

FORM OF APPLICATION FOR A DUPLICATE CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY MAINTAINED UNDER THE MERCHANT SHIPPING ACT, 2025

1. Name of Ship :
2. Distinctive Number or letters :
3. Port of Registry :
4. Name of Owner/agent and address :
5. i) Gross Tonnage :
i) Net Tonnage :
(Attach a photocopy of the certificate of Registry)
6. a) Particulars of insurance or other financial security maintained
(Attach documentary evidence to show maintenance of insurance or other financial security)
b) Period of validity :
(Attach documentary evidence to show period of validity)
7. Fee paid (in rupees) :
(Attach documentary evidence to show successful payment of the fee)

I hereby solemnly declare that the particulars contained in this form are true and correct to the best of my knowledge and that the Certificate of Insurance described in Rule 7 was defaced/destroyed or otherwise lost under the following circumstances:-

I request you to issue a duplicate Certificate of Insurance accordingly. I have been authorised by the owner to make this application (in case of an agent).

Place :

Date :

Signature of Applicant

Name :

Address :

- Strike out if not applicable.
- Defaced Certificate to be attached to the application

[F. No. SY-19014/194/2025-MG]

VENKATESAPATHY S, Jt. Secy.